रजिस्ट्री सं. डी एल.—33001/96 REGISTERED No. D L—33001/96

LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 28, 1996 (पौष 7, 1918)
No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 28, 1996 (PAUSA 7, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Satutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक, बम्बई

Discrepancies observed in the list of lost etc. IFC Bonds for the half year ended 30-6-1996 Published in the Gazette dated 17-8-1996

Sr. No.	Page No.	Nomenclature of Loan	Nature of discrepancy/cies
1	2	3	4
1.	3720	11 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड 2003 (49 वी श्रृंखला)	(a) In column 5, Comman (,) is not printed between वेंकटरमणी राम and कौशिक गुलशन मनी
2.	3720	11.5 प्रतिशत औद्योगिक वित्त निगम बांड 2009 (52 वी श्रृंखला)	(a) In Column 6 के० का सामरी में सं० 768 is printed as क० का० सामरी सं० 768
3.	3720	———	(a) के० एम० गांगुडे is printed as के० एम० गांगुड

Chief General Manager

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
(भारत सरकार का उपक्रम प्रधान कार्यालय)
पुणे-411 005, दिनांक

क्र० एएचस 1/कार्मिक/डीएम/ /961.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 12 के उप-निनियम 2 के साथ पठित धारा 19 द्वारा-प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 में संशोधन हेतु, एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

1. ये विनियम बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 1996 कहलाएंगे।

2. ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे।

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 (जिसे आगे मूल विनियम कहा जाएगा) के विनियम-4 में "हल्के दंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड (घ) के पश्चात, निम्नलिखित खंड सम्मिविष्ट किया जाए, अर्थात :

क. "(च) बिना किसी संचयी प्रभाव के और पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव न डालते हुए 3 वर्ष से अनधिक की अवधि हेतु वेतन के समय-मान में निचले स्तर पर कटौती।"

ख. "भारी दंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड (च), (छ), (ज) और (झ), को (ज) (झ), (ट) और (ठ) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए।

ग. पुनर्क्रमांकित खंड (झ) के समक्ष निम्नलिखित को सम्मिविष्ट किया जाए, अर्थात: (छ) "उक्त (च) में प्रावधान होते हुए भी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु समय-मान में निचले स्तर पर कटौती सहित अन्य आदेश यथा-क्या अधिकारी ऐसी कटौती की अवधि के दौरान वेतनवृद्धि अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर कटौती उसकी भावी वेतनवृद्धियों के आस्थगन को प्रभावित करेगी या नहीं।"

घ. पुनर्क्रमांकित खंड (ख) निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात

च. "निचली श्रेणी या पद में अवनति।"

3. मूल विनियम के विनियम 6 के "उप-विनियम (1)" में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज) और (झ) "हेतु शब्दों, कोष्टकों और अंकों" विनियम 4 के खंड (छ), (ज), (झ), (ट) और (ठ)" को प्रतिस्थापित जाए।

4. मूल विनियम के विनियम 8 के उप विनियम (1) में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "विनियम 4 के खंड (क) से (घ) "हेतु शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "विनियम 4 के खंड (क) से (च)" प्रतिस्थापित किया जाए।

5. मूल विनियम के विनियम 17 के उप विनियम (ii) के पहले प्रावधान में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों" विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज) और (झ)" हेतु शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "विनियम 4 के खंड (छ), (ज), (झ), (ट) या (ठ)" प्रतिस्थापित किया जाए।

6. मूल विनियम के विनियम 18 के पहले प्रावधान में शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "विनियम 4 के खंड (च), (छ), (ज) या (झ)" हेतु शब्दों, कोष्ठकों और अंकों "विनियम 4 के (छ), (ज), (झ) (ट) या (ठ)" प्रतिस्थापित किया जाए।

नोट—बैंक ऑफ महाराष्ट्र अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के पूर्व संशोधन भारत के राजपत्र की धारा 4, भाग III में प्रकाशित हुए थे, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है—

क्र० सं०	अधिसूचना क्रमांक	दिनांक
42	एएमएस 1/एसटी/सेए/10065/94	15-10-1994

श्री० सु० सी० चितले,
उपमहाप्रबंधक, कार्मिक

केनरा बैंक

(कार्मिक प्रबंधन अनुभाग)

प्रधान कार्यालय

बैंगलूर-2, दिनांक 27 नवम्बर, 1996

सं० बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केनरा बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत :

I. संक्षिप्त नाम और आरम्भ :

1. ये विनियम केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधित) विनियम, 1996 कहलायेंगे।

2. ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आयेंगे।

II. केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 के विनियम 19 के उप-विनियम (1) के प्रथम परंतुक को निम्नलिखित रूप से बदला जाता है, नामत :

"बशर्ते कि बैंक अपने विवेक से उप विनियम (2) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार विशेष समिति/समितियों द्वारा समीक्षा के बाद अगर यह माना जाता है कि जनहित में किसी अधिकारी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु पूरी करने पर या उसके बाद कभी भी अथवा अधिकारी कर्मचारी के रूप में या अन्यथा तीस वर्षों की सेवा पूरी करने पर या उसके बाद कभी भी, इनमें से जो भी पहले हो, सेवानिवृत्ति कर सकता है।"

एम० वी० कामत,
महा प्रबन्धक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

(चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट्स)

मद्रास-600 034, दिनांक 5 दिसम्बर, 1996

सं० 3-एस० सी० ए० (4)/8/95-96—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से श्री जी० एस० गुन्डु राव, 548 चिकपेट, बंगलोर 560053 का नाम उनकी अपनी प्रार्थना पर 31-3-1996 से हटा दिया है।

उनकी सदस्यता संख्या 796 है।

के० आर० ए० एन० अय्यर,
सचिव (वर्तमान कार्यभार)

सं० 3-एस० सी० ए० (4)/2/96-97—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा (1) (क) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से मृत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके आगे दी गई तिथियों से हटा दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	1031	श्री [illegible] वासुदेव, 6, [illegible] रोड, [illegible], मद्रास-600 018	18-9-96
2.	2409	श्री [illegible] एन वी, 1366-5, [illegible] "ई" ब्लॉक, 2, स्टेज राजाजीनगर, बंगलोर-560 010	15-9-96
3.	3760	श्री [illegible] कृष्णन, [illegible] भवन, ए-5, [illegible] कालोनी, [illegible], पोलाची-642 002	16-3-96
4.	5438	श्री [illegible] डी० ए०, प्लाट नं० 5, [illegible], मदुराई-625 014	8-4-96
5.	6042	श्री [illegible] एस० 1832, [illegible], पुदुकोट्टई-622 001	3-10-95
6.	3547	श्री [illegible], [illegible], [illegible]-682 310	16-4-96
7.	7721	श्री [illegible], डायरेक्टर/[illegible], [illegible] (प्रा) लि०, पी० बी० संख्या 545, [illegible], कोचीन-682 003	28-2-96
8.	18089	श्री [illegible] एम०, [illegible], [illegible] रोड, [illegible]-691 001	30-7-96
9.	20495	श्री [illegible] एम०, नं० 6, [illegible] स्ट्रीट, टी नगर, मद्रास-600 017	17-6-96
10.	21751	श्री [illegible] राव एम० [illegible] स्ट्रीट, [illegible], विजयवाड़ा-520 011	8-6-96
11.	29580	श्री [illegible] डी० पी० 12-2-416/57, [illegible] कालोनी, हैदराबाद-500 028	30-1-96
12.	82580	श्री [illegible] एम० 7, [illegible], 42, [illegible] रोड, मद्रास-600 008	16-7-96
13.	201065	श्री सुधीर एम०, एसिस्टेंट मैनेजर-फाईनेन्स, टाटा टी लि०, पोस्ट बॉक्स नं० 9, मुन्नार-685 612	26-3-96
14.	202076	श्री [illegible] के०, ब्लॉक बी 1 फ्लोर, पी० पी० [illegible], न्यू [illegible] रोड, आर०एम०वी० 2 स्टेज, बंगलोर-560 054	14-12-95

के० आर० ए० एम० अय्यर,
सचिव (वर्तमान कार्यभार)

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

दिनांक 6 दिसम्बर, 1996

सं० 3-एस० सी० ए० (8)/3/96-97—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 10 (1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी किये गये प्रेक्टिस प्रमाण पत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिये गये हैं क्योंकि वे अपने प्रेक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	20645	श्री [illegible] एस०, एफ० सी० ए०, 326, [illegible] रोड, कोयम्बटोर-641 001	1-6-96
2.	21391	श्री [illegible] एम०, एफ०सी०ए०, फ्लेट नं० 3 [illegible] ब्लॉक, [illegible] अपार्टमेंट्स, 9, [illegible] रोड, टी नगर, मद्रास-600 017	15-7-96
3.	21430	श्री [illegible] आर०, एफ० सी० ए०, 15 14 स्ट्रीट, [illegible] नगर, [illegible], मद्रास-600 106	1-6-96
4.	22935	श्री कुमार ए० वी०, एफ० सी० ए०, फ्लेट नं० बी-5, [illegible], 38 79 स्ट्रीट, 18, एवेन्यू अशोक नगर, मद्रास-600 083	31-7-96
5.	24953	श्री [illegible] टी० एम०, ए० सी० ए०, 17 19 एवेन्यू, अशोक नगर, मद्रास-600 083	12-7-96

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
6.	27729	श्री कोट मुरलीकृष्ण, एफ० सी० ए०, फ्लैट नं० 302, मेथोडिस्ट कोम्पलेक्स, गनपागडम्डी, हैदराबाद-500 001	10-9-96
7.	29176	श्री शंकर अनन्थरामन, एफ० सी० ए०, नं० 12, ईस्ट मदास रोड, तिलोय नगर, मद्रास-600 030	30-8-96
8.	35278	श्री श्रीकान्थ पी० एस०, ए० सी० ए०, 93, 4 स्ट्रीट, 1 फ्लोर, अभिरामपुरम, मद्रास-600 018	1-10-95
9.	45322	मिस सीथालक्ष्मी जगन्नाथन, ए०सी०ए०, 12, 45 स्ट्रीट, नंगनल्लूर, मद्रास-600 061	30-8-96
10.	87579	श्री अशीष कंकन, ए० सी० ए०, फ्लैट नं० 5-सी, ए० ब्लोक कृष्णा अपार्टमेंट्स, 8-3-324, येल्लारेड्डीगुडा, अमीरपेट क्रोस रोड, हैदराबाद-500 873	15-8-96
11.	88136	श्री श्रीनिवास एम०, ए० सी० ए०, नं० 123 ए, रेम्बा कोलोनी, बन्नेरघट्टा रोड, बंगलोर-560 076	17-7-96
12.	200331	श्री रवि चन्द्रन पी., एस० सी० ए०, बी-2, इंडस्ट्रियल इस्टेट, डिण्डीगुल-624 006	5-8-96
13.	200867	श्री कण्णन बी., ए०सी०ए०, प्लोट नं० 45, डोर नं० 15, न्यू एनजीओज कोलोनी, 4, मेन रोड अलवन्थनकम, मद्रास-600 088	8-6-96
14.	200984	श्री साई राम ई., ए०सी०ए०, सिद्धार्थ क्लासिक प्लोट नं० 52, 2-2-647/273/ए/बी श्रीनिवास नगर, सेन्ट्रल एक्साइज कोलोनी, हैदराबाद-500 013	23-6-96
15.	201118	मिस सुभारानी एस०, ए०सी०ए०, एच० नं० 27-6-10, पहूलवारी लेन, टैम्पल स्ट्रीट, काकीनाडा-533 001	8-9-96
16.	201228	श्री नारायनन टी० एस०, ए० सी० ए०, 3209, 8 क्रोस (लोवर 3 स्टेज), 1 मेन डी ब्लोक, गायत्री नगर, बंगलोर-560 025	1-9-96
17.	201808	श्रीरामनाथन के०, ए०सी०ए०, डोर नं० 11, प्लोट नं० बी-4, फस्ट स्ट्रीट, लक्ष्मीनगर, नंगनल्लूर, मद्रास-600 061	7-5-96
18.	203781	श्री महेश्वरा रेड्डी टी०, ए० सी० ए०, 1/32 ए, बालाजी स्ट्रीट, एक्सरसाइज, लोकनगैड, म्यूनीसीट	14-8-96
19.	203902	श्री नाटराजन एस., ए०सी०ए०, एस० पी० 5 लोयडस कोलोनी, रोयापेट्टाह, मद्रास-600 014	23-8-96
20.	204385	श्री कण्णन पी, ए०सी०ए०., लक्ष्मी निवासम, 11/3 5 क्रोस स्ट्रीट, यूनाइटेड इंडिया कोलोनी कोडम्बक्कम, मद्रास-600 024	2-9-96
21.	204404	श्री श्रीनिवासा राव च०, ए०सी०ए०, 115-बी "एफ" ब्लोक, कृष्णा टावर्स, बी०टावर हैदराबाद-500 004	10-6-96
22.	204475	श्री रमेश ई, ए०सी०ए०, एच नं० 7-37 मधुरापुरी, दिलसुखनगर, हैदराबाद-500 060	5-8-96
23.	204820	श्री हरी एस०, ए०सी०ए०, केयर ओफ काईटेक्स लि०, सुरभी नगर, बंगलोर	8-7-96
24.	205005	मिस दीपा रेय, ए०सी०ए०, डी नं० 45-49-7, पवित्र नगर, अक्कय्यपालेम, विशाखापटनम-530 016	1-4-96

के० आर० ए० एन० अय्यर,
सचिव (वर्तमान कार्यभार)

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

कलकत्ता-700 071, दिनांक 17 अक्तूबर 1996

सं० 3-ई०सी०ए० (5)/1/96-97—इस संस्थान की अधिसूचना सं० 3-ई०सी०ए० (4)/11/82-83 दिनांक 31-3-83, 3-ई०सी०ए० (4)/7/87/88 दिनांक 30-12-87, 3-ई०सी०ए० (4)/6/88-89 दिनांक 24-2-89, 3-ई०सी०ए० (1)/10/91-92 दिनांक 23-1-92, 33-1-92, 3-ई० सी० ए० (4)/4/93-94 दिनांक 1-2-94, 3-ई सी० ए० (4)/4/90-91 दिनांक 10-11-90, 3-ई०सी०ए० (4)/2/95-96 दिनांक 25-3-96 और 3-डब्ल्यू०सी०ए० (4)/2/95-96 दिनांक 13-3-96, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुन: उनके आगे दी गई तिथियों से स्थापित कर दिया है।

क्र० सं०	सदस्यता संख्या	नाम एवं पता	दिनांक
1.	8240	श्री कामेश्वर राव ई०सी०, ए०सी०ए०, सी-6, 5 फ्लोर, पूर्वो आवास, 1/1 अलीपोर एवेन्यू, कलकत्ता-700 027	1-4-96
2.	11034	श्री अहमद सिराजुद्दीन, एफ०सी०ए०, केयर ऑफ पैकेज भवन, ब्लॉक ईसी/सीपी, सैक्टर-3, विधान नगर, कलकत्ता-700 091	23-5-96
3.	11890	श्री अग्रवाल कृष्ण नारायण, एफ०सी०ए०, 190, पौना रोड, इम्फाल-795 001	21-5-96
4.	13845	श्री बसु रे सुगत, एफ०सी०ए०, 26/एस/ए, ब्लॉक बी, न्यू अलीपोर, कलकत्ता-700 053	14-6-96
5.	14756	श्री वेंकटरमणी आर०, ए०सी०ए०, डिप्टी जनरल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, 225 ए० जे० सी० बोस रोड, कलकत्ता-700 020	21-8-96
6.	15032	श्री भगत अन्नू, ए०सी०ए०, 4बी/22/3, सिलवर पार्क, कलकत्ता-700 033	2-9-96
7.	16342	श्री घोष सुव्रत, ए०सी०ए०, 31ए, अलीपोर रोड, 3 फ्लोर, कलकत्ता-700 027	6-5-96
8.	.50059	श्री चक्रवर्ती सत्यप्रकाश, ए०सी०ए०, हाउस ऑफ तुषार भवन, अपर चित्त न्यू, आसनसोल-713 304	23-8-96
9.	50152	श्री पैत अशोक नाथ, ए०सी०ए०, 35 उपेन्द्र चन्द्र बनर्जी रोड, कलकत्ता-700 054	28-5-96
10.	50198	श्री सरकार प्रदीप कुमार, ए०सी०ए०, 13, शंकरीतोला स्ट्रीट, कलकत्ता-700 014	1-4-96
11.	50607	श्री बन्द्योपाध्याय अमित कुमार, ए०सी०ए०, एफ-109, सैक्टर-53, सॉल्ट लेक सिटी, कलकत्ता-700 091	2-7-96
12.	51333	श्री दत्ता संजय कुमार, ए०सी०ए०, नं० 1 मनोमती पीर रोड, कुरणनगर, डिस्ट० हुगली, चन्दननगर-712 136	23-8-96
13.	51539	श्री गान्धी गौतम, ए०सी०ए०, बोक्स 31608, लुसाका, जाम्बिया,	8-7-96
14.	52553	श्री शर्मा संतोष कुमार, एफ०सी०ए०, 47/7, प्रिंस गुलाम हुसैन शाह रोड, कलकत्ता-700 032	31-5-96
15.	52782	श्री चन्दुका अशोक कुमार, ए०सी०ए०, आइपी-106, यूनिक पार्क, बेहाला, कलकत्ता-700 034	2-8-96
16.	53522	श्री बसु सैकत, ए०सी०ए०, 17/5, बोसपुकुर रोड, कलकत्ता-700 042	12-6-96
17.	53890	मिस रमन नन्दीता, ए०सी०ए०, 117, रिवर रोड, ग्रीनविच, एनएसडब्ल्यू 2065 आस्ट्रेलिया	23-5-96
18.	54456	श्री हसन सुशील कुमार, ए०सी०ए०, 2 ई, मोतीलाल बसाक लेन, कलकत्ता-700 054	20-9-96
9.	54558	श्री वर्मा सुमित, ए०सी०ए०, 39-ए, [illegible], [illegible]	3-4-96
20.	54664	श्री नायक शन्तनु कुमार, ए०सी०ए०, एच-17, सिविल टाउनशिप, राउरकेला-769 004	19-9-96
21.	55724	श्री चौधरी सुव्रत, ए०सी०ए०, 50, [illegible] रोड, कलकत्ता-700 054	31-5-96
22.	55749	मिस रामचन्दानी मनीषा, ए०सी०ए०, 311, [illegible], टापु एवी डिस्ट०, बगुम्बा सिटी, फिलीपिन्स	6-9-96
23.	56843	श्री शर्मा तरुण कुमार, ए०सी०ए०, सीबी-5, डाई स्कूल रोड, पी०ओ० देशबन्धुनगर, बगुईहाटी, कलकत्ता-700 059	2-9-96

के० आर० ए० एम० अय्यर,
सचिव (वर्तमान कार्यभार)

एयर-इंडिया

बंबई, दिनांक 1996

शुद्धि-पत्र

भारत के राजपत्र सं० 40, भाग III-खंड 4 तारीख 5 अक्तूबर, 1996 के पृष्ठ संख्या 4751 पर प्रकाशित "एयर-इंडिया कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1954// में पाई गई अशुद्धि को निम्नानुसार पढ़ा जाए।

पृष्ठ 4751 पर चौथी पंक्ति में "श्री० टी० वी० सुन्दरराजन" के स्थान पर "श्री टी० वी० सुंदरराजन" पढ़ा जाए।

टी० नरेन्द्रकुमार,
उप महाप्रबंधक-विधि एवं प्रशासन

केन्द्रीय भंडारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

नई दिल्ली-110 016, दिनांक 24 अक्टूबर 1996

सं० सी० डब्ल्यू०सी०/III-25/40-96/बी.एडसी.—केन्द्रीय भंडारण निगम नियमावली, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन अधिनियम की धारा 7 की उपधारा1 के खण्ड (ई) में विनिर्दिष्ट वर्ग के अंशधारियों द्वारा 25-9-1996 (अपराह्न) को 10-10-96 से दो वर्ष की अवधि के लिए विधिवत चुने गए निदेशक का नाम और पता नीचे अधिसूचित किया जाता है :—

अंशधारियों का वर्ग	निदेशक का नाम और पता
सहकारी समितियां	श्री हरभजन सिंह अध्यक्ष, तलवण्डी भाई कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी लिमिटेड, तलवण्डी भाई, जिला-फिरोजपुर (पंजाब)।

एम० दास गुप्त,
सचिव, केन्द्रीय भंडारण निगम

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

मुंबई, दिनांक 27 नवम्बर 1996

सं० यूटी/डीबीडीएम/2-168/एस०पी०डी०/39-19/96-97—भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अंतर्गत बनायी गयी संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस' 96) का पेशकश दस्तावेज, जिसे 2 सितम्बर, 1996 को हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया, इसके नीचे प्रकाशित किया जाता है।

ए० पी० जोशी,
महाप्रबंधक, व्यवसाय विकास एवं विपणन

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस' 96)

पेशकश दस्तावेज

पेशकश 22 अक्तूबर, 1996 से 05 दिसंबर, 1996 तक खुली रहेगी

यह यूनिट योजना यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) की धारा 21 के अनुसरण में बनायी गयी है।

प्लान के विवरण भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (म्यूच्युअल फंड) विनियम 1992 के अनुसार तैयार किए गए हैं और जन साधारण के अभिदान हेतु पेश किए गए यूनिट सेबी द्वारा न तो अनुमोदित अथवा अननुमोदित किए गए हैं न ही सेबी ने पेशकश दस्तावेज की यथार्थता अथवा पर्याप्तता को ही प्रमाणित किया है।

योजना का उद्देश्य

यह एक पांच वर्षीय नियत कालीन आयोन्मुख योजना है, जिसमें एनएवी आधारित मूल्य पर योजना के आरंभ होने के छ: माह बाद अर्थात् 01-07-97 से योजना से निर्गम किया जा सकता है। यह योजना संस्थागत निवेशकों के लिए है जिन्हें कि विशिष्ट योजना में प्रचुर धन का निवेश करना है।

विशिष्टताएं

0 न्यूनतम निवेश 10 लाख रुपए और अधिकतम कोई सीमा नहीं। यूनिटों का अंकित मूल्य 10/- रुपए है।

0 यह धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों सहित पात्र न्यासों, समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां, अन्य किन्हीं निकायों जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित व नियंत्रित हों, सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फंड और अन्य किसी संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों को शामिल करते हुए) सहित पात्र न्यासों के लिए खुला है।

0 ट्रस्ट द्वारा पहले वर्ष के लिए लाभ न्यूनतम 16% प्र० व० की लक्षित दर से अदा किया जाना प्रस्तावित है। पहला लाभांश समानुपातिक आधार पर स्वीकार किए जाने की तिथि से 30 जून 1997 तक देय होगा तथा उसे जुलाई 97 में अदा किया जाएगा। दूसरा छ: माही लाभांश जनवरी 1998 में अदा किया जाएगा।

0 लाभांश का पुनर्निवेश करने का विकल्प उपलब्ध है।

0 योजना के आरंभ होने की तिथि से तीन माह बाद अर्थात् 1 अप्रैल 1997 से अंतरण की अनुमति होगी।

0 योजना के आरंभ होने की तिथि से छ: माह के बाद अर्थात् 01-07-97 से एनएवी आधारित मूल्य पर पुनर्खरीद की अनुमति होगी।

जोखिम के तत्व

0 योजना के यूनिटों में निवेश पर बाजार का जोखिम होता है और योजना के शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) का ऊपर या नीचे जाना योजना के पोर्टफोलियो पर बाजार की शक्तियों के प्रभाव पर निर्भर करता है।

0 यदि वास्तविक आय 16% प्र० व० न्यूनतम लक्षित प्रतिलाभ का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी तो यूनिटधारकों को उस हद तक यूनिट पूंजी का घाटा उठाना पड़ सकता है।

0 ट्रस्ट के पहले की योजनाओं/प्लानों का कार्य निष्पादन आवश्यक रूप से भावी परिणामों का द्योतक नहीं है। इस योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति का कोई आश्वासन नहीं दिया जा सकता है।

0 संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 केवल योजना का नाम है और यह किसी भी प्रकार से योजना की गुणवत्ता का संकेत नहीं देता है। निवेशकों से आग्रह किया जाता है कि इस योजना में निवेश करने से पहले पेशकश की शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें।

प्रबंधन के विचार से जोखिम के तत्व

0 ट्रस्ट 32 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत है और इसने 4 करोड़ 80 लाख से अधिक निवेशकों से लगभग 56,800 करोड़ रुपये की निधियों के प्रबंधन में निपुणता हासिल की है।

यूटीआई की स्थापना

भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 के अंतर्गत भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य बचत एवं निवेश को प्रोत्साहन देने तथा प्रतिभूतियों के अर्जन, धारण, प्रबंधन और निपटान से ट्रस्ट को प्रोद्भूत होने वाली आय, लाभों और अभिलाभों में सहभागिता थी। ट्रस्ट ने 1 जुलाई 1964 से काम करना आरंभ किया था।

यूटीआई का प्रबंधन

ट्रस्ट के कार्यों एवं व्यवसाय का प्रबंधन न्यासी मंडल में निहित है जिसका भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। बोर्ड के अलावा एक सांविधिक कार्यकारिणी समिति होती है जिसमें अध्यक्ष, कार्यपालक न्यासी तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा नामित दो अन्य न्यासी शामिल हैं। यह समिति मंडल की कार्यक्षमता के अंतर्गत आने वाले किसी भी मामले पर विचार करने के लिए सक्षम है।

न्यासी मंडल

1. श्री जगदीश कपूर	अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
2. डॉ० पी० जे० नायक	कार्यपालक न्यासी, भारतीय यूनिट ट्रस्ट
3. श्री आर० वी० गुप्ता	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक
4. एस० एच० खान	अध्यक्ष, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक
5. श्री. एस एस सेखसरिया	प्रबंध निदेशक, गुजरात अंबुजा सिमेंट लि०
6. डॉ० अरविंद वीरमणि	सलाहकार, नीति निर्धारण, भारत सरकार आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
7. श्री पी० आर० खन्ना	सनदी लेखाकार
8. श्री एन०एम० गोवर्धन	अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम
9. श्री पी० जी० कालोडकर	अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक
10. श्री एन० वाघुल	अध्यक्ष, आईसीआईसीआई लि०
11. श्री के० वी० शेट्टी	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, कैनरा बैंक

योजना की विशेषताओं का विवरण नीचे दिया गया है।

I. संक्षिप्त शीर्षक और योजना का आरंभ

(i) यह योजना संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1996 (आईआईएसएफयूएस 96) कही जाएगी।

(ii) यह माह अक्तूबर 1996 के 22वें दिन से आरंभ होगी।

(iii) यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 1 जनवरी 1997 से 31 दिसम्बर 2001 तक होगी।

(iv) यूनिटों की बिक्री 22 अक्तूबर 1996 से 05 दिसंबर 1996 तक 45 दिनों के लिए होगी। बशर्ते यूनिट ट्रस्ट के न्यासी मंडल की कार्यकारिणी समिति/अध्यक्ष किसी भी समय युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने पर, स्टाक एक्सचेंजों में व्यवसाय न होने पर या अन्य सामाजिक, आर्थिक कारण होने पर अखबारों में 7 दिनों की नोटिस देने के बाद या ऐसी पद्धति से जैसा ट्रस्ट द्वारा निश्चय किया जाए, योजना के अंतर्गत यूनिटों की बिक्री स्थगित कर सकते हैं।

II. परिभाषाएं

इस योजना में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

(1) स्वीकृति तिथि, का अर्थ ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री या पुनर्खरीद के लिए किसी आवेदक द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित आवेदन पत्र के संदर्भ में वह तिथि है जब ट्रस्ट संतुष्ट होकर समझता है कि आवेदन सही है और उसे स्वीकार करता है;

(2) अधिनियम का तात्पर्य भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 (1963 का 52) से है;

(3) आवेदक का अर्थ है वह व्यक्ति जो योजना में शामिल होने के लिए पात्र है और योजना के खण्ड IV के अंतर्गत आवेदन करता हो।

(4) पात्र ट्रस्ट का अर्थ भारतीय यूनिट ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 में यथापरिभाषित कोई पात्र ट्रस्ट है।

(5) जारी यूनिटों की संख्या का अर्थ बेचे गए और बकाया यूनिटों की संख्या है।

(6) व्यक्ति में ऊपर यथापरिभाषित पात्र ट्रस्ट शामिल है।

(7) विनियमावली का अर्थ अधिनियम की धारा 43 (1) के अन्तर्गत बनी भारतीय यूनियन ट्रस्ट सामान्य विनियमावली 1964 है।

(8) सेबी का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड अधिनियम 1992 (1992 का 15) के अंतर्गत बनाया गया भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड।

(9) इस योजना से सम्बन्धित यूनिट का अर्थ यूनिट पूंजी में दस रुपये के अंकित मूल्य का एक अविभक्त शेयर है।

(10) यूनिट या ट्रस्ट का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत स्थापित भारतीय यूनिट ट्रस्ट से है।

(11) इसमें अपरिभाषित लेकिन अधिनियम/विनियमावली में परिभाषित अन्य सभी अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम/विनियमावली में दिये गये हैं।

III. प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य

प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य दस रुपये होगा।

IV. यूनिटों के लिए आवेदन

(1) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है।

(i) धर्मार्थ और धार्मिक ट्रस्ट सहित सभी पात्र ट्रस्ट

(ii) समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत समितियां।

(iii) अन्य कोई निकाय जो धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए राज्य या केंद्रीय अधिनियम द्वारा नियंत्रित या स्थापित या उसके अधीन हो।

(iv) सेना/वायुसेना/नौसेना/अर्ध सैनिक फंड।

(v) अन्य कोई संस्था/निगमित निकाय (कंपनियों सहित)

(2) आवेदन ऐसे फार्म में किया जाएगा जैसा ट्रस्ट के अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(3) पात्र संस्थाएं, निगमित निकाय या समितियां यथाअपेक्षा ट्रस्ट को वे भी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगी जिनसे आवेदक की यूनिटों में निवेश करने की सक्षमता का पता चलता हो, जैसे संस्था के बहिर्नियम और अंतर्नियम, उपनियम आदि, यूनिटों में निवेश का अधिकार देने व प्रबंध निकाय के संकल्प की प्राधिकृत प्रति आदि और समुचित मुख्तारनामे की प्रति।

V. न्यूनतम निवेश राशि

योजना के अंतर्गत न्यूनतम निवेश 10 लाख रुपये है और कोई अधिकतम सीमा नहीं है। 10 रुपये के गुणकों में न होने वाले निवेशों के लिए यूनिटों का आवंटन भिन्नांकों में दशमलव के बाद तीन स्थानों तक किया जाएगा।

निवेशकों को सलाह दी जाती है कि यदि उसका आयकर पीएएन/जीआईआर संख्या हो तो उसे तथा संबंधित आयकर सर्किल के पते का उल्लेख करें।

VI. भुगतान विधि

[illegible]क द्वारा सभी भुगतान आवेदन पत्र के साथ चेक या ड्राफ्ट [illegible] ड्राफ्ट कमीशन निवेशक द्वारा ही वहन किया जाएगा) [illegible] चेक या ड्राफ्ट वसूल करने की लागत भी इसमें [illegible]। चेक या ड्राफ्ट उसी शहर के बैंकों की शाखाओं [illegible] होने चाहिए जहां ट्रस्ट का शाखा कार्यालय हो और उस [illegible] में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(ii) यदि भुगतान चेक द्वारा किया गया हो तो स्वीकृति तिथि ट्रस्ट द्वारा चेक की राशि वसूल किए जाने की तिथि होगी। यदि भुगतान ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो, तो स्वीकृति तिथि ऐसे ड्राफ्ट जारी करने की तारीख होगी, बशर्ते कि ऐसे ड्राफ्ट की राशि वसूल हो जाए, परंतु ट्रस्ट को आवेदन पत्र ड्राफ्ट जारी करने के 10 दिन के भीतर प्राप्त हो जाए। अदा की गयी राशि (योजना के अंतर्गत न्यूनतम) देय राशि और अन्य देय प्रभार को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो संपूर्ण राशि ट्रस्ट द्वारा ऐसी रीति से जिसे वह उचित समझे, आवेदक को उसके खर्च पर वापस की जाएगी।

(iii) आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत करने का ट्रस्ट का अधिकार : योजना के अंतर्गत यूनिट जारी करने के लिए आवेदन पत्र स्वीकार करने और/या अस्वीकार करने का एक मात्र स्वविवेकाधिकार ट्रस्ट का होगा। योजना के अंतर्गत आवेदन करने की किसी व्यक्ति की पात्रता या अन्यथा के संबंध में ट्रस्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(iv) अपूर्ण आवेदन पत्र निरस्तीकरण के भागी होंगे : यदि आवेदन पत्र अपूर्ण पाया जाए तो उसे रद्द किया जा सकेगा और ट्रस्ट यथाशीघ्र बिना किसी देयता के चाहे वह ब्याज के लिए हो या अन्य कोई राशि हो, आवेदन राशि वापस कर देगा। आवश्यक परिचालनगत और प्रक्रियागत औपचारिकताओं का अनुपालन किये जाने के बाद राशि वापस की जाएगी।

(v) यूनिट जारी होने से पहले आवेदक को योजना के अन्तर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा : योजना के अन्तर्गत यूनिटों के लिए आवेदन करने वाली संस्थाओं को, आवेदन करने की अपनी पात्रता के बारे में ट्रस्ट को संतुष्ट करना होगा और ट्रस्ट की सभी अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी जैसे ट्रस्ट द्वारा आवेदन करने पर न्यास विलेख, यूनिट खरीदने के लिए प्रबंध निकाय का संकल्प, समितियों द्वारा आवेदन करने पर उप-नियम और प्रबंध समिति का संकल्प आदि। यह निवेशकों की श्रेणी पर निर्भर होगा। ट्रस्ट की संतुष्टि के लिए ऐसी अपेक्षाओं का पालन करना या न करना ट्रस्ट के पूर्ण स्वविवेक पर निर्भर होगा।

कोई संस्था गलत घोषणा कर यूनिट रखेगी तो वह सदस्यता निरस्त किए जाने की भागी होगी और उसका नाम यूनिट धारकों की पंजी से काट दिया जाएगा।

ऐसी स्थिति में ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह 25% जुर्माने के तौर पर घटाकर यूनिटों की पुनर्खरीद सममूल्य पर या ऐसे मूल्य पर कर लें जो ट्रस्ट द्वारा तय किया जाए और गलती से किए गए आय वितरण के भुगतान की वसूली पुनर्खरीद राशि से कर ले और शेष राशि वापस कर दें।

इस राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, चाहे ट्रस्ट को पुनर्खरीद करने और आवेदक को पुनर्खरीद राशि प्रेषित करने में जितना भी समय लगे।

VII. राशि जुटाने का न्यूनतम लक्ष्य :

योजना के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली राशि का लक्ष्य 20 करोड़ रुपये होगा। अल्पनिधान यदि कोई हो तो उसे ट्रस्ट द्वारा रखा जाएगा। यदि राशि का 60% का अभिदान नहीं होता है तो ट्रस्ट आवाता के खाता चेक/प्रत्यार्पण आदेश द्वारा योजना के अंतर्गत संग्रहीत पूरी राशि को यूनिटों की बिक्री समाप्ति तिथि से 6 हफ्तों या उसके पहले वापस करेगा।

उक्त अनुबंध अवधि के भीतर राशि वापस न करने की स्थिति में बिक्री बंद होने की तिथि के 6 सप्ताहों की समाप्ति पर ट्रस्ट आवेदक को 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का जिम्मेदार होगा।

VIII. खर्चों पर सीमा :

योजना के अंतर्गत एकत्र निधि का निर्गम पूर्व व्यय 3.50% से अधिक नहीं होगा। योजना के प्रारंभिक निर्गम खर्चों का अनुमान निम्नानुसार है :

व्यय का शीर्षक	%
मुद्रण और डाक	0.75
प्रचार और विपणन	0.75
कमीशन/प्रोत्साहन भुगतान	1.00
विविध	1.00
योग	3.50

इस प्रकार किसी निवेशक द्वारा निवेश किए गए प्रत्येक रुपये का कम से कम 96.5 पैसा इस योजना में निवेश किया जाएगा।

आरंभिक निर्गम व्ययों के अतिरिक्त आवर्ती आधार पर योजना का निम्नलिखित व्यय होगा जो किसी भी लेखा वर्ष के दौरान औसत साप्ताहिक शुद्ध आस्ति मूल्य का 2% से अधिक नहीं होगा। अनुमानित आवर्ती व्यय निम्नानुसार है :

व्यय का शीर्षक	%
प्रशासन व्यय	1.00
अभिरक्षण शुल्क	0.05
विकास प्रारक्षित निधि	0.01
कर्मचारी कल्याण न्यास	0.01
अन्य व्यय	0.03
योग	2.00

उपरोक्त व्यय अनुमानित हैं और वास्त[illegible] गए व्ययों में परस्पर परिवर्तित किए जाने के अधीन हैं। फिर भी सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1993 के अनुसार कुल आरंभिक निर्गम व्ययों [illegible] एकत्र निधि की 3.5% की सीमा के भीतर तथा आवर्ती व्यय किसी भी लेखा वर्ष के दौरान साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य के 2% की सीमा के भीतर ही होगा। इसके अलावा प्रशासनिक व्यय, विकास प्रारक्षित निधि में अंशदान लेखा वर्ष के दौरान योजना के साप्ताहिक औसत एनएवी के 1.25% से अधिक नहीं होगा।

सेबी द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने सेबी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सेबी के विचाराधीन है, अत: शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां सेबी द्वारा भावी विनियमों/दिशानिर्देशों पर निर्भर रहते हुए परिवर्तन के अधीन होंगी।

IX. यूनिटों की बिक्री :

पेशकश अवधि के दौरान यूनिटों की बिक्री सममूल्य पर होगी।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की बिक्री-संविदा, स्वीकृति तिथि को पूरी हुई समझी जाएगी। ट्रस्ट इसके बाद 50,000 यूनिटों के लॉट में यूनिट प्रमाणपत्र जारी करेगा। जो यूनिट 50,000 के गुणक में नहीं होंगे उनके लिए केवल एक प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। प्रेषित यूनिट प्रमाणपत्र के खो-जाने क्षतिग्रस्त हो जाने या गलत डिलिवरी या डिलिवरी नहीं होने का कोई दायित्व ट्रस्ट पर नहीं होगा।

यूनिट ट्रस्ट द्वारा ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय को जारी यूनिट प्रमाणपत्र ट्रस्ट/समिति/निगमित निकाय के नाम पर ही होगा।

यूनिट ट्रस्ट यूनिट प्रमाणपत्र को यथाशीघ्र लेकिन यूनिटों की बिक्री की [illegible] तिथि से दस सप्ताहों के भीतर भेजने का प्रयत्न करेगा।

X. यूनिटों की पुनर्खरीद :

(1) (i) योजना के पहले छ: माह के दौरान अर्थात 30 जून, 1997 तक यूनिटों की कोई पुनर्खरीद नहीं की जाएगी। पुनर्खरीद 01-07-97 से आरंभ होगी तथा पुनर्खरीद मूल्य पूर्ववर्ती शुद्ध आस्ति मूल्य पर बट्टे पर होगा। बट्टा 5% से अधिक नहीं होगा। आरंभ में, पुनर्खरीद मूल्य तीन महीने बाद और उसके बाद योजना के प्रथम छ: माह में प्रत्येक माह समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा। योजना के पहले छ: माह के दौरान पुनर्खरीद मूल्य आरंभ में पहले तीन माह के बाद और उसके बाद प्रत्येक माह घोषित किया जाएगा। अवरुद्ध अवधि समाप्त होने पर पुनर्खरीद मूल्य प्रत्येक सप्ताह में एक बार घोषित किया जाएगा जो 01-07-97 से आरंभ होगा।

आंशिक पुनर्खरीद की अनुमति तब ही दी जाएगी बशर्ते न्यूनतम शेष के रूप में दस लाख रुपये (अंकित मूल्य) कायम रखे।

पूर्ण रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर पुनर्खरीद की जाएगी।

(ii) यूनिटधारक को यूनिटों को पुनर्खरीद के लिए पेश करने के लिए कोई बाध्यता नहीं होगी जैसा कि ऊपर उप-खण्ड 1(i) में बताया गया है और वह योजना चालू रहने के दौरान अपनी इच्छानुसार उसको धारण कर सकते हैं।

(2) स्वीकृति तिथि को पुनर्खरीद के लिए संविदा समाप्त मानी जाएगी।

(3) यूनिट ट्रस्ट द्वारा पुनर्खरीदे गए यूनिटों के लिए स्वीकृति तिथि के बाद जितना जल्दी हो सके भुगतान किया जाएगा। भुगतान ऐसे ढंग से किया जाएगा जैसा आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सूचित किया गया हो। आवेदक को देय राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज अदा नहीं किया जाएगा और प्रेषण का खर्च (डाक खर्च सहित) या ट्रस्ट द्वारा भेजे गए ड्राफ्ट या चेक की वसूली का खर्च आवेदक द्वारा ही वहन किया जाएगा।

(4) पुनर्खरीदे गए यूनिट पुन: जारी नहीं किए जाएंगे। तथापि जब कभी सेबी यूनिटों को पुन: जारी करने की अनुमति देता है, ट्रस्ट योजना के अंतर्गत पुनर्खरीदे गए यूनिटों को पुन: जारी करने का अपना अधिकार सेबी के पूर्व अनुमोदन के साथ अपने पास रखता है।

(5) पुनर्खरीद मूल्य के परिकलन का आधार सेबी द्वारा निर्धारित विनियमनों और दिशानिर्देशों के अधीन होगा।

XI. यूनिटों की बिक्री और पुनर्खरीद पर प्रतिबंध :

योजना के किसी भी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के बावजूद ट्रस्ट यूनिटों की खरीद या पुनर्खरीद के लिए बाध्य नहीं होगा—

(i) ऐसे दिन, जो कार्य-दिवस नहीं हो; और

(ii) ऐसी अवधि में जब बही और लेखे की अर्ध-वार्षिक/वार्षिक बन्दी (ट्रस्ट द्वारा यथाधिसूचित) के संबंध में सदस्यों की पंजी बन्द हो।

स्पष्टीकरण : इस योजना के प्रयोजनार्थ शब्द ''कार्य दिवस'' का अर्थ वह दिन है, जो न तो (i) महाराष्ट्र राज्य या ऐसे अन्य राज्यों में, जहां ट्रस्ट के कार्यालय हों, सार्वजनिक अवकाश के रूप में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत अधिसूचित हो या (ii) भारत के राजपत्र में ट्रस्ट द्वारा ऐसे दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया हो कि ट्रस्ट का कार्यालय बन्द रहेगा।

XII. बिक्री या पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि को होगा :

यूनिट ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की प्रत्येक बिक्री और पुनर्खरीद स्वीकृति तिथि के अनुसार उस दिन को प्रचलित मूल्य पर होगी।

XIII. पुनर्खरीद मूल्य का प्रकाशन :

पुनर्खरीद मूल्य के निर्धारण के बाद ट्रस्ट जितना जल्दी संभव हो ऐसी यूनिटों के पुनर्खरीद मूल्य को समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के लिए जारी करेगा।

XIV. योजना से संबंधित आस्तियों का मूल्यांकन :

(क) शेयरों और डिबेंचरों में सूचीबद्ध निवेश जो मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व तक उधृत नहीं हुए हैं उन्हें अनोधृत निवेश माना जाएगा।

(ख) उधृत निवेशों के मामले में मूल्यांकन दर मूल्यांकन की तारीख को बाजार की दर या मूल्यांकन की तारीख को बाजार का उद्धरण उपलब्ध न होने की स्थिति में मूल्यांकन की तारीख से दो माह पूर्व की अवधि में बिल्कुल हाल की उपलब्ध दर होगी।

(ग) निवेश के मूल्य में मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास का निर्धारित करने के लिए निवेश की कुल लागत की तुलना कुल बाजार मूल्य के साथ की जाती है। निवेश का बाजार मूल्य निकालने के लिए :

(i) उधृत इक्विटी शेयर जिनमें अवरुद्ध अवधि वाले शेयर/अधिमान शेयर शामिल हों, को मूल्यांकन दर पर लिया जाता है।

(ii) उधृत डिबेंचर और बांण्ड मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं जिसे संचयी ब्याज उधृत होने के मामले में पिछली ब्याज की नियत तारीख से उधृत होने की तारीख तक ब्याज तत्व के लिए बट्टाकृत किया जाता है।

(iii) उधृत वारंट मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं।

(iv) अनोधृत इक्विटी/अधिमान शेयर (जो सूचीबद्ध हैं किन्तु अनोधृत माने गये हैं, के सहित) को लागत पर या ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार लिया जाता है।

(v) अनोधृत डिबेंचर और बॉण्ड, प्रतिभूत अंतरणीय पत्रों और अप्रतिभूत अंतरणीय पत्रों का मूल्यन परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) आधार पर या ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार लिया जाता है।

(vi) अनोधृत वारंट, संबंधित शेयरों के मूल्यांकन दर पर लिए जाते हैं जो लाभांश तत्वों के लिए बट्टागत, यदि हो, तथा देय अर्जन लागत से कम हो। जहां देय अर्जन लागत, बाजार मूल्य से अधिक हो, ऐसे मामले में वारंट का मूल्य शून्य लिया जाता है।

(vii) परिवर्तनीय डिबेंचर और बॉण्ड जहां संमिश्र बाजार भाव उपलब्ध नहीं है, वहां परिवर्तनीय भाग का बाजार मूल्य मूल्यांकन दर पर लिया जाता है जो संबंधित इक्विटी शेयर को लागू हो तथा लाभांश तत्व, यदि हो, के लिए बट्टागत हो। ऐसे डिबेंचरों और बाण्डों के शेष अपरिवर्तनीय भाग को उपरोक्त (v) के अनुसार लिया जाता है। जहां डिबेंचरों और बाण्डों के परिवर्तनीय भाग के संदर्भ में परिवर्तन की शर्तों का विशेष रूप से उल्लेख न हो वहां उसे लागत पर लिया जाता है।

(viii) मुद्रा बाजार की बाध्यताओं को बही-मूल्य पर लिया जाता है।

(ix) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन, उधृत प्रतिभूतियों के लिए बाजार मूल्य पर तथा अनोधृत प्रतिभूतियों के लिए परिपक्वता प्रतिफल (वाईटीएम) पर या ट्रस्ट के न्यासी मंडल दवारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(x) ऐसे शेयरों/डिबेंचरों और बाण्डों के परिवर्तनीय अंशों, जहां परिवर्तन की शर्तें ज्ञात हैं, के लिए राइटस की हकदारी को संबंधित इक्विटी शेयर के मूल्यांकन दर पर उसमें से लाभांश तत्व, यदि हो, को घटा कर लिया जाता है। ऐसे डिबेंचरों और बाण्डों के शेष अपरिवर्तनीय अंश को उपरोक्त (v) के अनुसार लिया जाता है।

XV. शुद्ध आस्ति मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण :

योजना मे शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन, योजना के उपचयों और उपचयों को ध्यान में रखते हुए योजना की आस्तियों के मूल्य को निर्धारित कर और योजना की देयताओं को घटाकर किया जाएगा। प्रति यूनिट शुद्ध आस्ति मूल्य का परिकलन योजना के एनएवी में उस तिथि को जारी और बकाया यूनिटों की कुल संख्या से भाग दे कर किया जाएगा। उस एनएवी को (पूर्ववर्ती आधार पर) आरंभ में योजना के आरंभ होने के तीन माह अर्थात् 01-04-97 के बाद और उसके बाद प्रथम छः माह तक प्रत्येक माह समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु जारी किया जाएगा। अवरुद्ध अवधि समाप्त होने के बाद 1 जुलाई 1997 से प्रत्येक सप्ताह या सेबी द्वारा अनुमोदित अंतराल में एनएवी घोषित की जाएगी।

XVI. (क) निवेश उद्देश्य :

(i) योजना के अंतर्गत संग्रहित निधियों का अधिक से अधिक 20% इक्विटी और इक्विटी सम्बद्ध लिखतों में और शेष का नियत आय वाले प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश किया जाएगा। नियत आय प्रतिभूतियों का जोखिम तत्व न्यून से मध्यम होगा। इक्विटी निवेशों का जोखिम तत्व उच्च होगा।

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश, इस संबंध में सेबी द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा।

पूर्वोक्त के बावजूद, निवेश का अनुपात बाजार की स्थितियों और निवेश के लिए उपलब्ध अवसरों पर निर्भर करते हुए निधि प्रबंधक के स्वविवेक के अनुसार उपरोक्त से भिन्न भी हो सकता है।

(ii) संविभाग की संरचना के बारे में निर्णय ट्रस्ट के विवेकाधीन होगा जो निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निवेश पर प्रतिबंधों और आय वितरित करने पर निर्भर करेगा।

(ख) निवेश नीतियां

(i) सभी ऋण लिखतें जिनमें योजना द्वारा निवेश किया जाता है, उनके निवेश वर्ग का निर्धारण सीआरआईएसआईएल/आईसीआरए/सीएआरई या समय-समय पर मान्यता प्राप्त किसी अन्य श्रेणी निर्धारण करने वाली एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।

परंतु यदि ऋण लिखत का निर्धारण नहीं किया गया हो, तो निवेश के लिए ट्रस्ट के न्यासी मंडल से विशिष्ट अनुमोदन लिया जाएगा।

(ii) इस योजना द्वारा कोई सावधि ऋण नहीं दिया जाएगा।

(iii) निजी रूप से नियोजित डिबेंचरों, प्रतिभूत ऋणों और अन्य असूचीगत ऋण लिखतों के जरिए किया गया निवेश योजना की कुल आस्तियों के 40% से अधिक नहीं होगा।

(iv) यह योजना अपने निकाय का 5% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों में निवेश नहीं करेगी।

(v) इस योजना सहित ट्रस्ट की सभी योजनाओं की निधियों का 10% से अधिक किसी एक कंपनी के शेयरों, डिबेंचरों अथवा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया जाएगा।

(vi) इस योजना की यूनिट ट्रस्ट की निधियों सहित सभी योजनाओं की निधियों का 15% से अधिक किसी एक उद्योग के शेयरों अथवा डिबेंचरों में निवेश नहीं किया जाएगा। परंतु यह प्रावधान उस योजना को लागू नहीं होगा जो एक अथवा अधिक विशिष्ट उद्योगों के लिए जारी की गई है और उस आशय की घोषणा पेशकश पत्र में की गई है।

(vii) इस योजना से दूसरी/प्लान में अंतरण केवल तभी किया जाएगा जब—

(क) उद्धृत लिखतों के लिए प्रचलित बाजार मूल्य पर ऐसे अंतरण स्पॉट आधार पर किए गए हों।

(ख) ऐसी अंतरिम प्रतिभूतियां उस योजना/प्लान के निवेश उद्देश्यों के अनुरूप हों जिनसे ऐसे अंतरण किए जाते हैं।

(ग) सूचीबद्ध या उद्धृत न किए गए निवेशों का अंतरण यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार किया जाएगा।

(viii) सेबी द्वारा म्यूचुअल फंड विनियमों/दिशानिर्देशों/निदेशों के अंतर्गत अन्य प्रकार से अनुमति न मिलने तक यह योजना यूटीआई की किसी अन्य योजना/प्लान में निवेश नहीं करेगी अथवा उसे उधार नहीं देगी।

(ix) जब तक सेबी से स्पष्ट अनुमोदन प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक यह योजना अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए निधियां उधार नहीं लेगी।

तथापि, ऊपर खण्ड XIV, XV और XVI (ख) के संबंध में किसी भी बात के होते हुए, आस्तियों का मूल्यांकन, शुद्ध आस्ति मूल्य का अभिकलन, पुनर्खरीद मूल्य और उनके प्रकटीकरण का अंतराल सेबी द्वारा समय समय पर जारी सेबी के (एमएफ) विनियमों के प्रावधानों/दिशा निर्देशों और निदेशों के अनुसरण में होगा।

XVII. यूनिट प्रमाणपत्र का फार्म :

यूनिट प्रमाणपत्र ऐसे फार्म में होगा जैसा अध्यक्ष/कार्यपालक न्यासी द्वारा निश्चित किया जाएगा। प्रत्येक यूनिट प्रमाणपत्र पर विभेदक संख्या, यूनिटों की संख्या जिनके लिए प्रमाणपत्र जारी किया गया हो तथा यूनिटधारक का नाम होगा।

XVIII. यूनिट प्रमाणपत्र तैयार करने की विधि :

जैसा बोर्ड समय-समय पर निर्धारित करेगा, यूनिट प्रमाणपत्र उत्कीर्ण या लिथोग्राफ या मुद्रित किया जाएगा और ट्रस्ट की ओर से ट्रस्ट द्वारा विधिवत् रूप से अधिकृत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा। ऐसा प्रत्येक हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित होगा या किसी यांत्रिक विधि से लगाया जाएगा। जब तक यूनिट प्रमाणपत्र इस रूप से हस्ताक्षरित नहीं होगा, तब तक वह वैध नहीं होगा। इस रूप में हस्ताक्षरित यूनिट प्रमाणपत्र इस बात के होते हुए भी वैध और बाध्यकारी होगा कि उसे जारी करने से पहले कोई व्यक्ति जिसका हस्ताक्षर उस पर है, ट्रस्ट की ओर से यूनिट प्रमाणपत्र हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति न रहा हो। परंतु इस रूप में तैयार किय गया यूनिट प्रमाणपत्र जिसमें प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं, प्रमाणपत्र जारी होने के समय जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो ट्रस्ट किसी तरीके से जिसे वह सबसे उचित समझता है, प्रमाणपत्र पर विद्यमान उक्त व्यक्ति के हस्ताक्षर को निरस्त कर सकता है और उस पर किसी अन्य प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर करवा सकता है। इस रूप में जारी यूनिट प्रमाणपत्र भी वैध होगा।

XIX. प्रमाणपत्र के कट-फट जाने विरूपित हो जाने, आदि की स्थिति में प्रक्रिया :

(1) यदि कोई यूनिट प्रमाणपत्र कट-फट जाता है या घिस-पिट या विरूपित हो जाता है तो ऐसे मामले में ट्रस्ट अपने विवेक के अनुसार हकदार व्यक्ति को एक नया यूनिट प्रमाणपत्र जारी कर सकता है जिसमें यूनिटों की वही संख्या हो जो कट-फट गए,

घिस-पिट गए या विरूपित हो गए प्रमाणपत्र में हो। यूनिट प्रमाणपत्र खो जाने, चोरी होने या नष्ट होने के मामले में, यूनिट ट्रस्ट अपने विवेकाधिकार पर, उसके बदले में हकदार व्यक्ति को नया प्रमाणपत्र जारी कर सकता है। कोई भी नया यूनिट प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक आवेदक ने पहले ही—

(i) मूल यूनिट प्रमाणपत्र के कटे-फटे होने, फटा पुराना हो जाने, विरूपित होने, खो जाने, चोरी या नष्ट हो जाने के संतोषजनक साक्ष्य यूनिट ट्रस्ट को प्रस्तुत नहीं किये हों;

(ii) तथ्यों की जांच से संबंधित सभी खर्चों का भुगतान कर दिया हो;

(iii) (कट-फट जाने या फटा-पुराना हो जाने या विरूपित होने के मामले में) कटे-फटे, फटे-पुराने या विरूपित यूनिट प्रमाणपत्र प्रस्तुत और सुपुर्द नहीं कर दिया हो, तथा;

(iv) यूनिट ट्रस्ट की अपेक्षानुसार उसे क्षतिपूर्ति प्रस्तुत नहीं कर दी हो। इस खण्ड के उपबंधों के अनुसार यूनिट ट्रस्ट सदभावपूर्वक ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई देयता नहीं उठाएगा।

(2) इस खण्ड के उपबंधानुसार प्रमाणपत्र जारी करने के पहले ट्रस्ट यह अपेक्षा कर सकता है कि आवेदक यूनिट प्रमाणपत्र के लिए ट्रस्ट द्वारा निर्गत प्रति यूनिट प्रमाणपत्र के लिए पांच रुपये के शुल्क के साथ, जो ट्रस्ट की राय में कर और ऐसे प्रमाणपत्र के निर्गम और प्रेषण के संबंध में देय डाक पंजीकरण, प्रभार सहित अन्य खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त हो, का भुगतान करें।

XX. यूनिट धारकों की पंजी

यूनिट धारकों के पंजीकरण के संबंध में निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे :

(1) ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारकों की पंजी रखी जाएगी और पंजी में निम्नलिखित दर्ज किए जाएंगे :

(क) यूनिटधारकों के नाम और पते;

(ख) हरेक ऐसे यूनिटधारकों द्वारा यूनिटों की संख्या; आदि

(ग) वह तिथि जब ऐसा यूनिटधारक अपने नाम के यूनिटों का धारक हो गया।

(2) यूनिटधारक की ओर से उसके नाम और पते के परिवर्तन की सूचना ट्रस्ट को दी जाएगी। ट्रस्ट द्वारा ऐसे परिवर्तन से संतुष्ट होने पर और यथा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी करने पर तदनुसार पंजी में परिवर्तन करेगा।

(3) केवल पंजी बंदी को छोड़कर, इसमें इसके बाद अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार कार्य समय के दौरान (यूनिट ट्रस्ट द्वारा यथानिर्णीत समुचित प्रतिबंधों के साथ प्रत्येक कार्य दिवस को न्यूनतम दो घंटे के लिए पंजी के निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी) यूनिटधारक के नि:शुल्क तथा उसके अपने निवेश के संबंध में निरीक्षण के लिए पंजी खुली रहेगी।

(4) यूनिट ट्रस्ट द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित समय और अवधि के लिए बंद रहेगी। परंतु किसी भी वर्ष में यह 45 दिनों से अधिक समय के लिए बंद नहीं रहेगी। यूनिट ट्रस्ट समाचार पत्रों में या अन्य माध्यम से विज्ञापन द्वारा ऐसी बंदी की सूचना देगा।

(5) यूनिट धारक के सिवाय किसी व्यक्ति के किसी यूनिट से संबंधित यूनिटधारक के सिवाय कोई स्पष्ट निहित और रचनात्मक सूचना और कोई ग्रहणाधिकार पंजी में दर्ज नहीं किया जाएगा।

XXI. यूनिट धारक द्वारा रसीद

यूनिट धारक द्वारा प्रदत्त राशि के लिए जारी यूनिट प्रमाणपत्र के यूनिटों के संबंध में उसके द्वारा दी गयी रसीद ट्रस्ट के प्रति अच्छा उन्मोचन होगा।

XXII. यूनिटों का अंतरण/गिरवी रखना/समनुदेशन

योजना आरंभ होने के 3 महीनों की अवरुद्ध अवधि के बाद अर्थात् 1 अप्रैल 1997 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन यूनिटों के अंतरण/गिरवी रखने/समनुदेशन के लिए अनुमति दी जाएगी :

(1) प्रत्येक यूनिटधारक को उसके द्वारा धारित यूनिटों अथवा कुछ यूनिटों का अंतरण करने का हक होगा और यह ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित फार्म पर लिखित रूप में लिखत द्वारा किया जाएगा। परंतु यदि ऐसे पंजीकरण से अंतरणकर्ता या अंतरिती ऐसे यूनिटों के धारक बनते हैं जहां योजना में निवेश 10 लाख रुपये (अंकित मूल्य) से कम है तो अंतरण पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

परंतु यह केवल खण्ड IV में उल्लिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को छोड़कर किसी अन्य को अंतरण नहीं किया जाएगा।

(2) अंतरण की प्रत्येक लिखत अंतरणकर्ता और अंतरिती द्वारा हस्ताक्षरित होगी और अंतरणकर्ता उस समय तक अंतरित यूनिटों का धारक होगा जब तक कि रजिस्टर में अंतरिती के नाम की प्रविष्टि नहीं हो जाती।

(3) अंतरण की प्रत्येक लिखत संबंधित यूनिट प्रमाणपत्रों के साथ यूनिट ट्रस्ट की किसी भी शाखा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(4) अंतरण की प्रत्येक लिखत विधिवत रूप से स्टाम्प की जाएगी (यदि विधि के अंतर्गत स्टाम्प लगना आवश्यक हो) और उसे ट्रस्ट को पंजीकरण के लिए संबंधित यूनिट प्रमाणपत्र/पत्रों के साथ दिया जाएगा और अंतरणकर्ता के हक के संबंध में अथवा यूनिटों का अंतरण करने के उसके अधिकार के संबंध में ट्रस्ट जैसा साक्ष्य चाहेगा, उसे भी प्रस्तुत करना होगा। ट्रस्ट ऐसे यूनिट प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में छूट दे सकता है जो खो गए हों, चुरा लिए गए हों अथवा नष्ट हो गए हों। इसके लिए

अंतरणकर्ता को उस अपेक्षाओं को पूरा करना होगा जो उनके स्थान पर जारी करने हेतु उसके द्वारा किए गए आवेदन पर उत्पन्न हुई होंगी।

(5) यदि अनामी विधि के परिचालन से या अधिकारिक क्षमता के कारण यूनिटों का धारक बन जाता है तो इच्छुक अंतरिती यूनिटों के धारण के लिए अन्यथा पात्र होने पर ऐसे साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण, जिसे ट्रस्ट की शाखा पर्याप्त समझे, के अधीन ट्रस्ट की शाखा अंतरण को लागू करेगी।

(6) जब यूनिट अधिकारिक नाम से जारी किए जाते हैं तो व कार्यालय के प्रत्येक धारक से कार्यालय में इसके उत्तराधिकारी धारक के नाम बिना किसी अंतरण लिखत के अंतरित माने जाएंगे, और यह अंतरण उस तिथि को या उस तिथि से होगा जब दूसरा धारक कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करता है।

(7) जब कार्यालय का धारक इस प्रकार से धारित यूनिटों का अंतरण एक व्यक्ति के नाम करता है जो कार्यालय में उसका उत्तराधिकारी न हो, तो अंतरण लिखत द्वारा अंतरण किया जाएगा, जो कार्यालय के धारक द्वारा हस्ताक्षरित होगा और उस पर कार्यालय का नाम होगा।

(8) अंतरण के सभी लिखत, जो पंजीकृत हो सकते हैं, ट्रस्ट द्वारा प्रक्रिया संबंधी और परिचालनगत आवश्यकताओं के पूरी करने तक रखे जाएंगे।

(9) ट्रस्ट अंतरिती संबंधी ब्यौरों को यूनिट प्रमाणपत्र के पीछे इस प्रयोजन के लिए दी गयी जगह पर पृष्ठांकन करेगा।

(10) इसमें ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अधीन ट्रस्ट प्रमाणपत्र और अंतरण संबंधी लिखत प्रस्तुत करने के 30 दिनों के भीतर अंतरण का पंजीकरण करेगा और अंतरिती को प्रमाणपत्र वापस करेगा।

XXIII आवेदन और अंतरण फार्म पर अटार्नी द्वारा हस्ताक्षर

यदि मुख्तारनामा पहले से ही ट्रस्ट की बहियों में पंजीकृत नहीं हो और यदि किसी आवेदन पत्र या अंतरण पत्र पर मुख्तारनामा रखनेवाला कोई व्यक्ति जिसे ऐसा करने का अधिकार दिया गया हो, हस्ताक्षर करे तो मूल मुख्तारनामा या उसकी, विधिवत नोटरीकृत प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र या अंतरण पत्र के साथ जैसा भी मामला हो प्रस्तुत करनी चाहिए।

XXIV. आय वितरण की दर

ट्रस्ट पहले वर्ष के लिए 16% प्रति वर्ष की न्यूनतम लक्षित दर पर लाभ का भुगतान करने का प्रस्ताव करता है। पहला लाभांश जुलाई 97 में अदा किया जाएगा तथा यह स्वीकृत तिथि से 30 जून 1997 तक समानुपातिक आधार पर होगा। इसकी गणना स्वीकृत तिथि पर निर्भर करते हुए दैनिक आधार पर होगी। 1 जुलाई 97 से 31 दिसंबर 97 तक की अवधि के लिए लाभांश जनवरी 98 में अदा किया जाएगा। बाद के वर्षों के लिए लाभांश की घोषणा वर्ष के अंत से पूर्व की जाएगी, जो प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई में देय होगी।

XXV. यूनिटधारकों को भुगतान

(1) लाभांश घोषित करने से पहले ट्रस्ट निवेश पर मूल्यह्रास का प्रावधान करेगा और अपने लेखा परीक्षकों की संतुष्टि करते हुए संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान भी करेगा और लेखा की टिप्पणियों में निवेशों के मूल्यांकन को प्रकट करेगा। ट्रस्ट पहले वर्ष के लिए न्यूनतम 16% प्रति वर्ष की दर से लक्षित लाभांश अदा करने का प्रस्ताव करता है।

कम मार्केटिंग तथा सेवा प्रभार और निवेश उद्देश्य और योजना की प्रचलित नीतियों तथा लिखतों से अनुमानित लाभ, जिनमें प्लान की निधियों का निवेश किया जाएगा, के आधार पर योजना पहले वर्ष में निवेशकों के लिए 16% प्रति वर्ष की दर से न्यूनतम लक्षित लाभांश अदा करने के लिए पर्याप्त आय उत्पन्न कर सकेगी। योजना के अंतर्गत जिन लिखतों में निवेश किया जाएगा उनसे वर्तमान प्राप्तियां निम्नानुसार हैं।

लिखत	अनुमानित प्राप्ति (%)
डिबेंचर	18.00
इक्विटी एवं मुद्राबाजार	5.00

इस तरह ट्रस्ट द्वारा निवेशकों को 16% प्र० व० की दर से न्यूनतम लक्षित लाभ देना संभव होगा। बाद के प्रत्येक वर्ष के लिए लाभांश हर योजना की आय पर और संबंधित कारकों पर निर्भर करेगा और अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष जनवरी/जुलाई में भुगतान किया जाएगा।

ट्रस्ट लाभांश घोषित करने के 42 दिनों के भीतर उसे प्रेषित करने का प्रयत्न करेगा।

(2) यूनिटों के संबंध में जिसका वह धारक है ट्रस्ट द्वारा घोषित कोई आय प्राप्त कर धारण करना यूनिट धारक के लिए वैध होगा, भले ही उसके द्वारा किसी प्रतिफल हेतु यूनिट अंतरित कर दिए गए हों, तथापि जब तक अंतरिती जो अंतरणकर्ता से आय का दावा करता है, आय के देय होने के 15 दिनों के भीतर प्रमाणपत्र और अंतरण से संबंधित अन्य सभी दस्तावेज, जो प्रावधानों के अंतर्गत या अन्य रूप से उसके नाम में पंजीकृत करने के लिए ट्रस्ट द्वारा मांगे [illegible] प्रस्तुत नहीं कर देगा।

स्पष्टीकरण : इस उप-खण्ड में निर्दिष्ट अवधि निम्नलिखित मामलों में विस्तारित की जाएगी :

(i) अंतरण विलेख के चोरी होने या अंतरणकर्ता के नियंत्रण के बाहर की परिस्थिति में अन्य किसी कारण से खो जाने की स्थिति में उसके स्थान पर दूसरा प्राप्त करने में व्यतीत हुई वास्तविक अवधि के द्वारा; और

(ii) कोई प्रमाणपत्र दाखिल करने में विलम्ब और अंतरण के संबंध में अन्य दस्तावेजों को डाक द्वारा देरी से पहुंचने के संबंध में हुए विलम्ब की वास्तविक अवधि के द्वारा।

(3) इसमें ऊपर उल्लिखित किसी भी बात के होने के बावजूद ऐसी यूनिटों के संबंध में, जिसका वह धारक है, यूनिटधारक को देय किसी भी आय का भुगतान करने का ट्रस्ट का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

(4) यूनिटधारकों में वितरित की जानेवाली ऐसी आय पर ट्रस्ट द्वारा कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। तथापि, ट्रस्ट योजना के अंतर्गत स्थापित प्रारक्षित निधि पर निर्भर करते हुए और उचित परिस्थितियों के होने पर यूनिटधारक द्वारा लाभांश के किसी विलम्ब पर किए दावे पर जैसा कार्यकारिणी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा उस रूप में और रीति से यूनिटधारक को मुआवजा देगा।

(5) यूनिटधारकों में वितरित की जाने वाली आय चेक या यूनिट ट्रस्ट के बैंकरों के नाम आहरित वारंट या यूनिटधारक के विकल्प पर, बैंक ड्राफ्ट द्वारा अदा की जाएगी। उक्त बैंक ड्राफ्ट के प्रभार यूनिटधारक द्वारा वहन किए जाएंगे।

आय वितरण वारंटों के खो जाने/गलत स्थान पर पहुंचने के कारण उनके संभावित कपटपूर्ण नकदीकरण के विरुद्ध सावधानी के तौर पर आवेदकों से अनुरोध किया जाता है कि वे रिकार्ड के लिए आवेदन फार्म में उपयुक्त स्थान पर तथा पावती रसीद वाले भाग पर अपने बैंक खाते का पूरा विवरण (अर्थात खाते का प्रकार एवं खाता संख्या, बैंक का नाम) दें। तब आय वितरण वारंट इस प्रकार से निर्दिष्ट किए गए उनके खाते में जमा करने के लिए बैंक के पक्ष में तैयार कर उन्हें भेजे जाएंगे। यूनिट धारक कथित बैंक में अपने खाते में जमा करने हेतु उस आय वितरण वारंट को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि बैंक संबंधी पूरा विवरण नहीं दिया जाता है तो आय वितरण वारंट यूनिटधारक के नाम जारी किए जाएंगे।

XXVI. आय वितरण का और यूनिटों में पुनर्निवेश

यूनिटों के लिए आवेदन करते समय या उसके बाद यूनिट धारक को यूनिटों के संबंध में प्राप्त होने वाली आय को और यूनिटों में पुनर्निवेश करने का विकल्प होगा। ऐसे विकल्प का प्रयोग करने की स्थिति में वितरित की जाने वाली पूर्ण आय खण्ड XXIV में दी गयी रीति से यूनिटधारक को अदा करते जाने के बजाय, कर कटौती के बाद, यदि कोई हो, यूनिट ट्रस्ट द्वारा अगले/उसी वर्ष के जुलाई/जनवरी के पहले सप्ताह में प्रचलित एनएवी आधारित मूल्य पर और यूनिटों में पुनर्निवेशित की जाएगी। वितरण योग्य लाभांश, कर कटौती, यदि कोई हो, और उनके बदले आबंटित यूनिटों के ब्यौरे सहित एक विवरणी यूनिटधारक को भेजी जाएगी। इस तरह आबंटन यूनिटों के संबंध में किसी भी यूनिटधारक का यूनिट प्रमाणपत्र जारी करने की मांग करने का हक नहीं होगा। यूनिट धारक जिसने पूर्वोक्तानुसार पुनर्निवेश सुविधा का विकल्प चुना हो, उसके द्वारा लिखित आवेदन तथा अंतिम जारी विवरणी को अभ्यर्पित करने पर पुनर्खरीद की अनुमति प्रदान करने वाले पिण्ड की शर्तों के अनुसार उस उक्त समय पुनर्खरीद मूल्य पर यूनिटों की पुनर्खरीद की अनुमति दी जा सकती है। जिन यूनिटधारकों ने पुनर्निवेश यूनिटों की पुनर्खरीद की हो, वे उत्तरवर्ती वर्षों के लिए वितरण योग्य आय के संबंध में पुनर्निवेश सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इस खण्ड के अंतर्गत पुनर्निवेश सुविधा के अधीन आबंटित यूनिट न्यूनतम धारण, पुनर्खरीद और अन्य मामलों के संदर्भ में नियंत्रित करने वाली शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन नहीं होंगे।

XXVII. विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% ट्रस्ट के डीआरएफ में अंशदान के रूप में रखा जाएगा। डीआरएफ अंशदान आवर्ती व्यय का अंश होगा।

ट्रस्ट ने इस निधि की स्थापना एक सामान्य निधि के रूप में 1983-84 में की थी ताकि ट्रस्ट नई योजनाओं को लागू करने के संबंध में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करने, नई पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अवधारण के स्तर पर प्रवर्तन करने तथा उत्पादन एवं विकास से संबंधित ऐसे बहुत से अन्य कार्यों जो किसी विशेष योजना से जुड़े अथवा संबंधित न हों, पर होने वाले व्ययों को पूरा कर सके। इस निधि को उपयोग आर्थिक और पूंजी बाजार, अनुसंधान, प्रबंधन और व्यावसायिक प्रशिक्षण, ट्रस्ट के लिए सर्वेक्षण एवं बाजार अनुसंधान, मार्केटिंग और कार्पोरेट के छवि निर्माण संबंधी ऐसे प्रयासों जो किसी विशेष योजना से जुड़े हुए न हों तथा मानव संसाधन विकास संबंधी प्रयासों जिनका दीर्घकालिक प्रभाव हो और जो ट्रस्ट के भविष्य के कार्यकलापों से संबंधित हों, के लिए भी किया जा सकता है।

XXVIII. कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट में अंशदान

प्रत्येक वर्ष साप्ताहिक औसत शुद्ध आस्ति मूल्य का 0.10% कर्मचारी ट्रस्ट में अंशदान के रूप में रखा जाएगा।

ट्रस्ट ने कर्मचारी कल्याण ट्रस्ट की स्थापना अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए की है जिसमें विपत्ति में सहायता, चिकित्सा सहायता, स्वास्थ्य सहायता अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजन शामिल हैं।

XXIX. योजना के प्रयोजनार्थ ट्रस्टों को स्वीकृति और मान्यता नहीं दिया जाना

जो व्यक्ति यूनिटधारक के रूप में पंजीकृत है और जिसके नाम से यूनिट प्रमाणपत्र जारी किया गया है, वही व्यक्ति ट्रस्ट द्वारा यूनिटधारक के रूप में मान्य होगा और चूंकि ऐसे यूनिटों में उसका अधिकार, हक और हित है, इसलिए ट्रस्ट ऐसे सदस्य को उसके पूर्ण स्वामी के रूप में मान्यता देगा और किसी विपरीत नोटिस से या न्यास निष्पादन का नोटिस से उस बात को छोड़कर जैसा इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो या सक्षम अधिकारितावाले न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया हो कि इस योजना से संबंधित यूनिटों के हक को प्रभावित करने वाले किसी न्यास या इक्विटी या अन्य हित को मान्यता दी जाए, बाध्य नहीं होगा।

X. लेखों का प्रकाशन

ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष 30 जून के बाद यथाशीघ्र बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से लेखों को प्रकाशित करेगा, जिसमें उस तिथि को समाप्त अवधि का योजना के कार्यों का विवरण होगा। ट्रस्ट सेबी और अन्यों को विधिवत रूप से लेखा परीक्षित तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखों की प्रतियां और लाभ-हानि लेखा तथा अपरीक्षित अर्ध वार्षिक लेखों और एनएवी में हुए उतार चढ़ाव का एक तिमाही विवरण और पिछली अवधि में हुए परिवर्तनों सहित तिमाही पोर्टफोलियो विवरण भेजेगा। ट्रस्ट निवेशकों को वह जानकारी देगा जो उनके निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के बारे में हो और जिसका सूचित किया जाना आवश्यक हो।

ट्रस्ट, यूनिटधारक से लिखित रूप में अनुरोध प्राप्त होने पर उसे प्रकाशित लेखों और विवरणों और लेखों की एक प्रति भेजेगा। सेबी द्वारा नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सेबी को प्रस्तुत कर दी है जो विचाराधीन है। अत: शुल्क, व्यय और लेखा नीतियां सेबी द्वारा जारी निनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन होंगी।

XXXI. योजना में परिवर्धन और संशोधन

बोर्ड समय-समय पर इस योजना में परिवर्धन या अन्यथा संशोधन कर सकता है और उसमें किए गए परिवर्धन/संशोधन को सराकरी राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

XXXII. योजना की समाप्ति

(क) योजना पूर्ण रूप से 31-12-2001 को समाप्त हो जाएगी। यूनिटधारकों के बकाया यूनिटों की पुनर्खरीद की जाएगी और यूनिटधारक को उनके यूनिटों के मूल्य की अदायगी उक्त अवधि के दौरान अंतिम पुनर्खरीद के लिए निर्धारित पुनर्खरीद मूल्य पर की जाएगी।

निर्धारित अंतिम पुनर्खरीद मूल्य की प्राप्ति के बाद की किसी अवधि के लिए पुनर्खरीद मूल्य में वृद्धि या लाभांश के रूप में किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त लाभ उपचित नहीं होगा। फिर भी, ट्रस्ट लिखित रूप से सेबी की पुर्व अनुमति से इस योजना को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ऐसी स्थिति में यूनिटधारकों को विकल्प दिया जाएगा कि या तो वे यूनिटों को वापस ट्रस्ट को बेच दें अथवा इस योजना में बने रहें। ट्रस्ट द्वारा विवेशक को यह विकल्प भी दिया जा सकता है कि वह पुनर्खरीद की राशि को आरंभ की गई अथवा उस समय परिचालन में रहने वाली किसी भी योजना में परिवर्तित कर सके।

(ख) ट्रस्ट योजना को निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त कर सकता है :

(I) योजना के पांच वर्ष पुरे होने पर अर्थात 31 दिसम्बर, 2001 को अथवा आगे ऐसी तारीख की समाप्ति पर जो ट्रस्ट द्वारा यथानिर्धारित हो।

(ii) कोई ऐसी घटना घटित होने पर और जिससे ट्रस्ट की राय में योजना की समाप्ति आवश्यक हो, या

(iii) योजना के 75% यूनिटधारक द्वारा योजना को समाप्त करने का संकल्प पारित करने पर, या

(iv) यूनिटधारकों के हित में सेबी ऐसा करने के लिए निर्देश दे।

(ग) जहां उपर्युक्त खण्ड (ख) के अधीन योजना की समाप्ति की जाती है, तो ट्रस्ट को योजना को समाप्त करने की परिस्थितियों की सूचना सेबी को और अखिल भारतीय स्तर पर परिचालित होनेवाले दो दैनिक समाचार पत्रों में और मुम्बई में एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में देनी होगी।

(घ) योजना की समाप्ति संबंधी विज्ञापन की तिथि को और उस तिथि से ट्रस्ट—

(i) इस योजना से संबंधित कोई भी व्यावसायिक क्रियाकलाप नहीं करेगा।

(ii) इस योजना के अंतर्गत यूनिटों को निर्मित और रद्द करना बंद करेगा।

(iii) इस योजना में यूनिटों को जारी करना और यूनिटों का प्रतिदान भी बंद करेगा।

(ङ) न्यासी मंडल यूनिटधारकों की एक बैठक बुलाएगा जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा विचार किया जाएगा तथा साधारण बहुमत से आवशक संकल्प पारित किया जाएगा और मतदान द्वारा न्यासियों अथवा किसी अन्य व्यक्ति को योजना की समाप्ति हेतु कदम उठाने के लिए प्रधिकृत किया जाएगा।

(च) (i) न्यासी मंडल योजना से संबंधित आस्तियों को योजना के यूनिट धारकों के सर्वोत्तम हित में निपटाएगा।

(ii) ऊपर दिए गए खण्ड (च)(i) के अनुसार की गई बिक्री की राशि को पहले दृष्टान्त में, योजना के अंतर्गत ऐसी देयताओं के उन्मोचन के लिए उपयोग किया जाएगा जो योजना के अंतर्गत उचित रूप से देय हों और ऐसी समाप्ति से संबंधित व्ययों को चुकाने के लिए उचित प्रावधान करने के बाद समाप्ति का निर्णय लेने की तिथि को योजन की आस्तियों में यूनिट धारकों के हित के समानुपात में उन्हें शेष राशि का भुगतान किया जाएगा।

(छ) समाप्ति पूरी होने पर ट्रस्ट सेबी और यूनिट धारकों को समाप्ति के बारे में एक रिपोर्ट प्रेषित करेगा जिसमें ऐसी परिस्थितिया जिनके कारण योजना समाप्त की गई, योजना की समाप्ति के पूर्व आस्तियों के निपटान के लिए उठाए गए कदम, समाप्ति के लिए किया गया व्यय, यूनिट धारकों को वितरण के लिए उपलब्ध शुद्ध आस्तियों के विवरण और योजना के लेखा परीक्षकों से प्राप्त एक प्रमाण पत्र होगा।

(ज) इसमें ऊपर दी गई किसी भी बात के बावजूद, सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम 1993 के प्रावधान, अर्धवार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट के प्रकटीकरण के लिए लागू रहेंगे।

(झ) खण्ड XXXII (छ) में संदर्भित रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद यदि सेबी संतुष्ट हो जाती है कि योजन समाप्त करने की सारी कार्यवाही पूरी हो गयी है तो योजना समाप्त हो जाएगी।

(ञ) ट्रस्ट द्वारा यथाशीघ्र विधिवत रूप से भरे हुए पुनर्खरीद फार्म के साथ यूनिट प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर और अन्य प्रक्रिया और परिचालन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने पर पुनर्खरीद मूल्य का भुगतान किया जाएगा। पुनर्खरीद के लिए प्राप्त यूनिट प्रमाणपत्र और अन्य फार्म, यदि कोई हों, ट्रस्ट द्वारा रद्दकरण के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे।

XXXIII. यूनिटधारकों को लाभ

योजना की समाप्ति के समय पूंजी, प्रारक्षित निधि और अधिशेष के संबंध में योजना में उपचित सभी लाभ केवल उन्हीं यूनिट धारकों को प्राप्त होंगे जो योजन की समाप्ति तक पूरी अवधि के लिये यूनिट के धारक रहे हों।

XXXIV. उपबंधों के अर्थ निर्धारण का अधिकार

योजना के किसी भी उपबंध की व्याख्या में कोई संदेह उत्पन्न होने पर केवल अध्यक्ष और यदि उस समय कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो, तो कार्यपालक न्यासी को योजना के अर्थ निर्धारण का अधिकार होगा। ऐसा अर्थ किसी भी रूप में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या योजना की मूल संरचना के विपरीत नहीं होगा तथा ऐसा निर्णय निश्चायक, बाध्यकारी और अंतिम होगा।

XXXV. उपबंधों में ढील

केवल अध्यक्ष और यदि कोई अध्यक्ष नियुक्त न हो तो ट्रस्ट का कार्यपालक न्यासी कठिनाइयों को कम करने के उद्देश्य से या योजना के निर्बाध और सहज संचालन के लिए किसी यूनिटधारक या यूनिटधारक वर्ग के मामले में, योजन के किसी भी उपबंध में ढील दे सकता है, परिवर्तित या संशोधित कर सकता है।

पेशकश दस्तावेज/प्रावधान में परिवर्तन सेबी के पूर्व अनुमोदन के बाद ही किया जाएगा।

XXXVI. योजना यूनिटधारकों के लिए बाध्यकारी होना

इस योजन की शर्तों के साथ समय-समय पर इनमें किए गए संशोधन और परिवर्तन प्रत्येक यूनिटधारक और उसके माध्यम से दावा करने वाले हरेक अन्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार बाध्यकारी होंगे, मानो वह योजन के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी विपरीत बात के बावजूद ऐसा करने के लिए बाध्य हो।

यूनिटधारकों के अधिकार

1. योजना के अधीन यूनिटधारक को योजना की आस्तियों के लाभकारी स्वामित्व तथा योजन द्वारा घोषित लाभांशों में समानुपातिक अधिकार है।

2. यूनिटधारक को न्यासियों से ऐसी कोई भी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जो उनके निवेशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो तथा यूनिटधारक को ऐसी जानकारी देने के लिए न्यासी बाध्य होंगे।

3. लाभांश की घोषणा किए जाने के 42 दिनों के भीतर यूनिटधारक लाभांश वारंट के प्रेषित किए जाने के हकदार है।

4. यूनिटधारक को "निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज" शीर्षक के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार है।

कर मार्गदर्शक

कर छूट

प्रचलित आय कर अधिनियम के अंतर्गत उन मामलों में जहां पर निवेश करने वाली संस्थाएं निम्नलिखित

(i) धर्मार्थ और धर्मादा न्यास :

धर्मार्थ और धर्मादा न्यास की आय किसी भी वर्ष में आयकर से पूरी तरह मुक्त होगी यदि जिस वर्ष आय अर्जित की गई हो उसी वर्ष उसका 75% ट्रस्ट के किसी भी उद्देश्य के लिए खर्च किया गया हो (आय कर अधिनियम की धारा 11)। इस प्रकार धर्मार्थ और धर्मादा न्यास वर्ष की आय का 25% को भविष्य के वर्षों में धर्मार्थ और धार्मिक उद्देश्यों पर खर्च करने के लिए अलग रख सकते है और आय कर से बच सकते हैं। यदि इस प्रकार अलग रखी गई आय उस वर्ष की आय के 25% से अधिक हो तो उस पर आय कर लगेगा। ऐसी अधिक आय, आय कर से मुक्त होगी, यदि उसका आयकर अधिनियम की धारा 11(2) (ख) में उल्लिखित "स्वीकृत प्रतिभूतियों" में निवेश किया गया हो। यूटीआई के यूनिट स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक है। कोई धर्मार्थ और धर्मादा न्यास जो कि अपनी अतिरिक्त निधियों का यूनिटों में निवेश करता है, आयकर से छूट के योग्य होगा।

आय कर अधिनियम की धारा 13 के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कर में छूट के लिए योग्य एक शर्त यह है कि ट्रस्ट के धन और अन्य निधि का स्वीकृत प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए। यूटीआई की यूनिटें स्वीकृत प्रतिभूतियों में से एक है।

(ii) धारा 23एए में दर्शायी गयी कोई भी सगठित निधि/अन्य संस्थाएं: ये प्रचलित कर विधि के अनुसरण में होगी।

स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं होगी

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 अथवा 12 अथवा 10(22) अथवा 10(22ए) अथवा 10(23) अथवा 10(23एए) या 10(23सी) के अंतर्गत आनेवाली पात्र संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र में उपलब्ध कराए गए प्रारूप में घोषणा किए जाने के आधार पर उनसे स्रोत पर कर की कटौती नही की जाएगी।

उपर्युक्त को छोड़कर अन्य संस्थाओं के मामले में स्रोत पर कर कटौती प्रचलित कर विधि के अनुसार होगा।

धन कर

वित्तीय आस्तियों जैसे शेयर और भारतीय यूनिट ट्रस्ट और अन्य म्यूचुअल फंडों के यूनिट धन कर देयता से मुक्त हैं।

टिप्पणी : सांविधिक निगमों यथा सेबी, आईडीबीआई और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के संबंध में आयकर अधिनियम और धन कर अधिनियम के अंतर्गत कर लाभ/छूट, अन्य बातों के साथ साथ उन्हें संचालित करने वाले विशेष अधिनियमों, यदि कोई हो, के प्रावधानों के अनुसरण में, संचालित होगी।

अभिरक्षक

भारतीय स्टाक धारिता निगम के साथ 17 जनवरी 1994 को हुए करार के अनुसार हमारी सभी योजनाओं और प्लानों का अभिरक्षक भारतीय स्टाक धारिता निगम है जिसका कार्यालय मित्तल कोर्ट, बी विंग, नरीमन पाईंट बम्बई-400021 में स्थित है।

अभिरक्षकों का यह प्रयास होगा कि वे योजनाओं/निधियों/प्लानों की संपत्तियां को ट्रस्ट के नाम से पंजीकृत करें तथा वे उनकी सुपुर्दगी केवल ट्रस्ट के अनुदेशों के अनुसार और प्रतिफल प्राप्त करने पर ही करें। जब तक ट्रस्ट द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया गया हो, अभिरक्षक, एजेंट के रूप में उसके द्वारा धारित प्रतिभूतियों, अन्य आस्तियों की बिक्री, खरीद, अंतरण एवं अन्य लेन-देन से संबंधित अभिरक्षा संबंधी सामान्य कार्यों का पालन करने के लिए सभी गैर विवेकाधीन एवं प्रक्रियात्मक ब्यौरों के लिए सामान्यतया प्राधिकृत होगा। अभिरक्षक सभी सूचनाएं, रिपोर्ट अथवा ट्रस्ट की योजनाओं/निधियों/प्लानों से संबंधित प्रतिभूतियों के वास्तविक रूप से सत्यापन एवं मिलान और लेखा परीक्षा के प्रयोजन हेतु ट्रस्ट अथवा ट्रस्ट के लेखा परीक्षकों द्वारा मांगा गया कोई भी स्पष्टीकरण उपलब्ध करायेंगे।

लेखा परीक्षक

मेसर्स एस के कपूर एण्ड कं० 16/98, एलआईसी बिल्डिंग, द माल, कानपुर-208001 और मेसर्स कल्याणीवाला एण्ड मिस्त्री, माणेकजी वाडीया बिल्डिंग, 127, महात्मा गांधी रोड, मुंबई। योजना के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आईडीबीआई द्वारा की जाती है, और वे प्रत्येक वर्ष में बदले जाने के अधीन है।

निवेशकों की शिकायतें

01-07-95 से 30-06-96 तक की अवधि के लिए प्राप्त शिकायतों की संख्या, जिनका निवारण किया गया और जो निवारणाधीन हैं, उन्हें नीचे दिया गया है।

योजना का नाम	शिकायतों की संख्या			कुल में से निवारणाधीन शिकायतें
	प्राप्त शिकायतें	जिनका निवारण किया गया	निवारणाधीन	
सीसीसीएफ	3577	3549	28	0.78%
सीजीजीएफ	13785	13216	569	4.13%
सीजीयूएस-91	1877	1861	16	0.85%
सीआरटीएस	144	135	9	6.25%
डीआईयूपी-93	210	186	24	11.43%
डीआईयूपी-95	52	34	18	34.62%
डीआईयूएस-90	1299	1293	6	0.46%
डीआईयूएस-91	838	830	8	0.95%
डीआईयूएस-92	873	867	6	0.69%
आईआईएसएफयूएस	2124	2079	45	2.12%
जीसीजीआई	399	364	35	8.77%
ग्रेड मास्टर-93	267	252	15	5.62%
जीएमआईएस91	1999	1896	103	5.15%
जीएमआईएस-92	950	877	73	7.68%
जीएमआईएस-92 (II)	729	711	18	2.47%
जीएमआईएस-बी-92	170	147	23	13.53%
जीएमआईएसबी-92 (II)	714	701	13	1.82%
जीयूपी-94	1353	1305	48	3.55%
एचयूएस	199	199	—	0.00%
एमईपी-91	3013	2968	45	1.49%
एमईपी-92	21518	20944	574	2.67%
एमईपी-93	2305	2262	43	1.87%
एमईपी-94	1466	1434	32	2.18%
एमईपी-95	4057	3992	65	1.60%
एमईपी-96	58	51	7	12.70%

1	2	3	4	5
मास्टर गेन-92	14623	12631	1992	13.62%
मास्टर ग्रोथ-93	1439	1345	94	6.53%
एमआईपी-93	1602	1585	17	1.06%
एमआईपी 94 (I)	198	175	23	11.62%
एमआईपी 94 (II)	1417	1396	21	1.48%
एमआईपी 94 (III)	3414	3373	41	1.20%
एमआईपी-95	402	351	51	12.69%
एमआईपी 95 (II)	352	250	102	28.98%
एमआईपी 95 (III)	164	85	79	48.17%
एमआईपी-96	11	6	5	45.45%
एमआईएस-90 (I)	479	348	131	27.35%
एमआईएस-90(II)	1002	930	72	7.19%
एमआईएस-बी-93	719	701	18	2.50%
एमआईएसजी-91	1351	1270	81	6.00%
मास्टर प्लस-91	5549	5233	316	5.60%
मास्टर शेयर-86	28428	21705	6723	23.65%
ओमनी प्लान	61	43	18	29.51%
पीईएफ	683	547	136	19.91%
आरबीपी	204	122	82	40.20%
राजलक्ष्मी यूनिट प्लान	8689	8493	196	2.26%
वरिष्ठ नागरिक यूनिट प्लान	1523	1434	89	5.84%
यूजीएस-2000	56072	55693	379	0.68%
यूजीएस-5000	12222	11972	250	2.05%
यूलिप	10397	9243	1154	11.10%
यूएस-64	663904	640289	23615	3.56%
यूएस-92	265	261	4	1.51%
यूएस-95	4	4	—	0.00%
कुल	879150	841527	37623	4.28%

शिकायत लंबित रहने के कारण

(1) संग्रहण कर्ता बैंकों से आवेदन पत्र/निधियों का प्राप्त न होना

(2) आवेदन पत्र में निवेशक के पते, नाम और हस्ताक्षर सहित अपूर्ण विवरण।

(3) निवेशक के पते में हुए परिवर्तन को सूचित नहीं किया जाना/अद्यतन नहीं किया जाना।

(4) मार्ग में ही खो जाना।

(5) डाक सेवा में विलंब।

(6) अंतरण/मृत्यु दावों/गुमशुदगी के मामलों में अपेक्षित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं कराया जाना।

(7) शिकायत भरते समय अपूर्ण ब्योरा,

(8) कमीशन प्राप्त न होना/विलंब से प्राप्त होना।

(9) पत्रों/दस्तावेजों को गलत कार्यालय/रजिस्ट्रार को भेजा जाना।

शिकायतों/आपत्तियों के प्रकार के अनुसार ट्रस्ट निवेशक/बैंक/रजिस्ट्रार को उक्त का निवारण करने हेतु लिखता है।

सभी निवेशकों निवेश का पूर्ण ब्योरा देते हुए अपनी शिकायतें संबंधित निवेशक संपर्क कक्ष को निम्नलिखित पते पर भेज सकते है :

पश्चिम अंचल

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
कामर्स सेंटर 1, 28वीं मंजिल,
विश्व व्यापार केंद्र, जी डी सोमानी मार्ग,
कफ परेड, मुंबई-400 005
टेली : 218 0172/218 1600

पूर्व अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
2, फेयरली प्लेस,
2री, मंजिल,
कलकत्ता-700 001
टेली : 243 4581

दक्षिण अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
यूटीआई हाऊस, 29, राजाजी सालै,
मद्रास-600 001
टेली : 517101 विस्तारित : 360/364

उत्तर अंचल :

भारतीय यूनिट ट्रस्ट
निवेशक संपर्क कक्ष,
हेरल्ड हाऊस, 2 री मंजिल,
5अ, बहादुर शाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली 110 002
टेली : 3329860

रजिस्ट्रार

आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग और बिक्री के पश्चात सेवाएं ट्रस्ट के मुम्बई मुख्य शाखा कार्यालय द्वारा कामर्स सेन्टर-1, 28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केन्द्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005 पर प्रदान की जाएगी। ट्रस्ट के पास आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग करने, प्रमाणपत्रों का निर्धारित समय के भीतर प्रेषित करने और निवेशकों की शिकायतों का दूर करने जैसी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए पर्याप्त क्षमता है।

निरीक्षण के लिए उपलब्ध दस्तावेज

निम्नलिखित दस्तावेज निरीक्षण के लिए केंद्रीय निवेशक संपर्क कक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय, बेसमेंट द्वारा नं० 1, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग, मुम्बई-400 020 में उपलब्ध किया जाएगा।

* यूटीआई अधिनियम
* सामान्य विनियम
* अभिरक्षक, के साथ किया गया करार
* आई आई एस एफ यू एस 96 के पेशकश दस्तावेज की प्रति

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1993 का विवरण

आरंभ होने की तिथि	:	1-3-1993
बिक्री बंद होने की तिथि	:	1-11-1993
अर्ध वार्षिक लाभांश (जुलाई और जनवरी में)	:	16% प्र० व०
संग्रहीत राशि	:	1276.87 करोड़ रु०
आवेदन पत्रों की संख्या	:	518

संस्थागत निवेशक विशेष निधि यूनिट योजना 1995 का विवरण

आरंभ होने की तिथि	:	1-10-1995
समाप्त होने की तिथि	:	30-9-2000
अर्ध वार्षिक लाभांश (पहले वर्ष के लिए)	:	15% प्र० व०
संग्रहीत राशि	:	176.76 करोड़ रु०
आवेदन पत्रों की संख्या	:	285

वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए आईआईएसएफयूएस' 93 और आईआईएसएफयूएस '95 के पूर्ववर्ती आंकड़े

(रुपये करोड़ में)

	विवरण		आईआईएसएफ-यूएस' 93 93-94	आईआईएसएफ-यूएस' 93 94-95	आईआईएसएफ-यूएस' 93 95-96	आईआईएसएफ-यूएस' 95 95-96
क.	कुल आय		206.82	250.07	201.42	26.25
ख.	व्यय (प्रावधान सहित)		8.78	28.83	6.23	0.76
ग.	शुद्ध आय (क-ख)		198.04	221.24	195.19	25.49
घ.	लाभांश	%	185.53	16%*	16%*	15%@
ङ.	शुद्ध आस्ति मूल्य	आरंभ में	10.20	10.42	10.22	—
		अंत में	10.49	10.22	10.23	—
च.	पुनर्खरीद	आरंभ में	—	—	$10.22	—
		अंत में	—	—	#10.50	—
छ.	औसत मासिक शुद्ध आस्तियों को व्यय (%)		—	—	—	—
ज.	पोर्टफोलियो कुल बिक्री दर		—	—	—	—
झ.	बाजार मूल्य (उच्चतम/न्यूनतम)		—	—	—	—
ञ.	बिक्री मूल्य (उच्चतम/न्यूनतम)		—	—	—	—
ट.	यूनिटों की संख्या (अवधि के अंत में) (रु० लाख में)		12768.74	129283.18	128583.46	17770.00

* अर्ध वार्षिक आधार पर देय

@ 30-6-96 तक की अवधि के लिए समानुपातिक आधार पर जुलाई 96 में देय।

$ मार्च 96 माह के लिए

\# मई' 96 माह के लिए

भारतीय यूनिट ट्रस्ट

कार्पोरेट कार्यालय

13, सर विट्ठलदास ठाकरसी मार्ग (न्यू मरीन लाईन्स), मुंबई-400020, दूरध्वनि : 2068468

आंचलिक कार्यालय

पश्चिमी अंचल : केन्द्र-1,28वीं मंजिल, विश्व व्यापार केंद्र, कफ परेड, कोलाबा, मुंबई-400 005, दूरध्वनि : 218 1600, पूर्वी अंचल : 2 फेयरली प्लेस, दूसरी मंजिल, कलकत्ता-700 001 दूरध्वनि: 2209391 दक्षिणी अंचल ; यू टी आई-हाऊस 29, राजाजी सालै, मद्रास-600 001, दूरध्वनि : 517 101, उत्तरी अंचल: जीवन भारती, 13वीं मंजिल, टावर II, कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110 001, दूरध्वनि : 3329860।

पश्चिमी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

अहमदाबाद : बी जे हाऊस, दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009, दूरध्वनि : 6423043 बड़ोदा : मेगधनुष, चौथी और पांचवी मंजिल, ट्रान्स्पेक सर्कल, रेस कोर्स रोड, बड़ौदा-390015, दूरध्वनि : 332481 भोपाल : पहली मंजिल, गंगाजमुना कमर्शियल काम्प्लेक्स, प्लाट नं० 202, महाराणा प्रताप नगर, अंचल 1, स्कीम 13, हबीब गंज, भोपाल-462001, दूरध्वनि : 558308 मुम्बई : (1) यूनिट सं० 2, ब्लाक 'बी', गुलमोहर क्रास रोड नं० 9, अंधेरी (पश्चिम) मुंबई-400049, दूरध्वनि : 6201995 मुंबई : (2) पर्सेपोलिस बिल्डिंग, तीसरी मंजिल, आंध्र बैंक के ऊपर, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई-400703, दूरध्वनि : 7672607 मुंबई : (3) लॉटस कोर्ट बिल्डिंग, 196, जमशेदजी टाटा रोड, बैकबे रिक्लमेशन, मुंबई-400020, दूरध्वनि : 2850821, (मुंबई मुख्य शाखा के लिए) मुंबई : (4) प्रग्रा शापिंग आर्केड, पहली मंजिल, एस वी रोड, बोरिवली (पश्चिम), मुंबई-400092, दूरध्वनि : 8020521 मुंबई : (5) सागर बोनांजा, पहली मंजिल, खोत लेन, घाटकोपर (पश्चिम), मुंबई-400086, दूरध्वनि : 5162256, इन्दौर : सिटी सेंटर, दूसरी मंजिल, 570, एम जी रोड, इन्दौर-452001, दूरध्वनि : 22796, कोल्हापुर : अयोध्या टावर्स, सी एस नं० 511, केएच-1/2, 'ई' वार्ड, दाभोलकर कार्नर, स्टेशन रोड, कोल्हापुर-416001, दूरध्वनि : 657315 ; नागपुर : श्री मोहिनी काम्प्लेक्स, तीसरी मंजिल, 345, सरदार वल्लभभाई पटेल रोड, (किंग्स्वे), नागपुर-440001, दूरध्वनि : 536893, नासिक : सारदा संकुल, दूसरी मंजिल, एम० जी० रोड, नासिक-422001, दूरध्वनि : 72166 पणजी : ई०डी०सी० हाऊस, भूतल, डा. ए बी मार्ग, पणजी, गोवा-403001, दूरध्वनि : 222472, पुणे : सदाशिव विलास, तीसरी मंजिल, 1183 फर्ग्युसन कालेज रोड, शिवाजी नगर, पुणे-411005, दूरध्वनि : 325954 राजकोट : लक्ष्मूभाई सेन्टर, चौथी मंजिल, लाखाजी राज रोड, राजकोट-360001, दूरध्वनि : 35112 सूरत : सैफी बिल्डिंग, डच रोड, ननपुरा, सूरत-395001, दूरध्वनि : 434550 ठाणे : यूटीआई हाऊस, स्टेशन रोड, ठाणे (पश्चिम)-4000601, दूरध्वनि : 5400905।

पूर्वी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

भुवनेश्वर : ओसीएचसी बिल्डिंग, 1ली एवं 2री मंजिल, 24 जनपथ, खारवेला नगर, राममंदिर के पास, भुवनेश्वर-751001, दूरध्वनि : 410995, कलकत्ता : 2 और 4, फेयरली प्लेस, कलकत्ता-700001, दूरध्वनि : 2209391, दुर्गापुर : तीसरी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, दूसरी मंजिल, आसनसोल, दुर्गापुर विकास प्राधिकरण, सिटी सेन्टर, दुर्गापुर-713216, दूरध्वनि : 4831, गुवाहाटी : जीवन दीप, एम एल नेहरु रोड, पानबाज़ार, गुवाहाटी-781001, दूरध्वनि : 543131, जमशेदपुर : 1-ए, राम मंदिर परिसर, भूतल और दूसरी मंजिल, बिस्तुपुर, जमशेदपुर-831001, दूरध्वनि : 425508, पटना : जीवन दीप बिल्डिंग, भूतल और पांचवी मंजिल, एक्जिबिशन रोड, पटना-800001, दूरध्वनि : 235001, सिलीगुड़ी : जीवन दीप, भूतल, गुरु नानक सारनी, सिलीगुड़ी-734401, दूरध्वनि : 24671।

दक्षिणी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आनेवाले शाखा कार्यालय

बंगलोर : विश्व व्यापार केंद्र, चेंबर ऑफ कामर्स, केम्पेगौवडा रोड, बंगलोर-560009, दूरध्वनि : 2263739, कोचीन : जीवन प्रकाश, पांचवी मंजिल, एम जी रोड, एर्नाकुलम, कोचीन-682011, दूरध्वनि : 362354, कोयमबतूर : चेरन टावर्स, तीसरी मंजिल, 6/25, आर्टस् कालेज रोड, कोयम्बतूर-641018, दूरध्वनि : 214973, हुबली : कालबुर्गी मेंशन, 4थी मंजिल, लेमिंगटन रोड, हुबली-580020, दूरध्वनि : 363963, हैदराबाद : पहली मंजिल, सुरभि आर्केड, 5-1-664, 665, 669, बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500001, दूरध्वनि : 511095, मद्रास : यू०टी०आई० हाउस, 29 राजाजी सलाई, मद्रास-600001, दूरध्वनि : 517101, मदुराई : तमिलनाडु सर्वोदय संघ बिल्डिंग, 108, तिरुप्परनकुन्द्रम रोड, मदुराई-625001, दूरध्वनि : 38186, मंगलोर : सिद्धार्थ बिल्डिंग, पहली मंजिल, बाल-मत्ता रोड, मंगलोर-575001, दूरध्वनि : 426258, तिरुअनंतपुरम : स्वस्तिक सेन्टर, तीसरी मंजिल, एम०जी०रोड, तिरुअनंतपुरम-695001, दूरध्वनि : 331415, त्रिची : 104 सलाई रोड, वोरेयूर, तिरुचिरापल्ली-620003, दूरध्वनि : 27060, त्रिचूर : 28/876/77, वेस्ट पल्लिथामाम बिल्डिंग, करुणाकरण नंबियार रोड, राऊंड नार्थ, त्रिचूर-680020, दूरध्वनि : 331259, विजयवाड़ा : 27-37-156, बन्दर रोड, मनोरमा होटल के आगे, विजयवाड़ा-520002, दूरध्वनि : 74434, विशाखापट्टनम : रत्ना आर्केड, तीसरी मंजिल, 47-15-6, स्टेशन रोड, द्वारका नगर, विशाखापट्टनम-530016, दूरध्वनि : 548121।

उत्तरी अंचल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले शाखा कार्यालय

आगरा : भूतल, जीवन प्रकाश, संजय प्लेस, महात्मा गांधी रोड, आगरा-282002 दूरध्वनि : 54408, इलाहाबाद : यूनाइटेड टावर्स, तीसरी मंजिल, 53, लीडर रोड, इलाहाबाद-211003 दूरध्वनि : 50521, अमृतसर : श्री द्वारकाधीश काम्प्लेक्स, दूसरी मंजिल, क्विन्स रोड, अमृतसर-143001, दूरध्वनि : 210367, चंडीगढ़ : जीवन प्रकाश, एलआईसी बिल्डिंग, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 दूरध्वनि : 543683, देहरादून : दूसरी मंजिल, 59/3, राजपुर रोड, देहरादून-248001, दूरध्वनि : 26720, फरीदाबाद : बी-614—617 नेहरु ग्राउंड, एनआईटी, फरीदाबाद-121001, दूरध्वनि : 210010, गाजियाबाद : 41 नवयुग मार्केट, सिघनी गेट के पास, गजियाबाद-201001, दूरध्वनि : 752040, जयपुर : आनंद भवन, तीसरी मंजिल, संसार चन्द्र रोड, जयपुर-302001, दूरध्वनि : 365212, कानपुर : 16/79इ, सिविल लाईन्स, कानपुर-208001, दूरध्वनि : 317278, लखनऊ : रिजेन्सी प्लाजा बिल्डिंग, 5, पार्क रोड, लखनऊ-226001, दूरध्वनि : 232501, लुधियाना : सोहन पैलेस, 455, दि माल, लुधियाना-141001, दूरध्वनि : 400373, नई दिल्ली : गुलाब भवन, दूसरी मंजिल, 6, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरध्वनि : 3318638, शिमला : 3, माल रोड, पहली मंजिल, (जानकीदास एण्ड कं० डिपार्टमेन्ट स्टोर के ऊपर), शिमला-171002, दूरध्वनि : 4203, वाराणसी : पहली मंजिल, डी/58/2ए-1, भवानी मार्केट रथयात्रा, वाराणसी-221001, दूरध्वनि : 54306।

RESERVE BANK OF INDIA

Bombay, the

Discrepancies observed in the list of lost etc. IFC Bonds for the half year ended 30/06/1996, Published in the Gazette dated 17/08/1996

Sr.	Page	Nomenclature of Loan	Nature of discrepancy/cies
1.	3723	———	(a) *Reserve Bank of India* is not printed above Public Debt Office
			(b) *Notification is not printed before No. PDO. 20.14.02/ IFC—Bonds*
			(c) *5th line—The Word Bond* is printed instead of *'Bonds'*.
			(d) 7th line—*'Part A'* is printed as *'Parts A'*
2.	3724	11% IFC Bonds 2003 (49th Sr.)	(a) In column 6 and 7 the particulars of the names of the claimants and No. and date of order issued are to be printed.
3.	3724	11.5% IFC Bonds, 2009 (52nd Sr.)	(a) In column 2 at Sr. No. 10 No. BY-000142 is printed as RY-000142

Sd/-
P. Chief General Manager

BANK OF MAHARASHTRA
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
CENTRAL OFFICE

Pune-411 005, the

No. AXI/ST/DM /96.—In exercise of the powers conferred by section 19 read with sub-regulation (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 the Board of Directors of Bank of Maharashtra in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations to amend further the Bank of Maharashtra Officer Employees (Discipline and Appeal) Regulations, 1976 namely:

01. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

(1) These Regulations may be called Bank of Maharashtra Officer Employees (Discipline and Appeal) (Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

02. In Regulation 4 of the Bank of Maharashtra Officer Employees (Discipline and Appeal) Regulations 1976 (heeinafter called as Principal Regulations) under the heading "Minor Penalties" after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:

(a) "(e) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding 3 years, without cumulative effect & not adversely affecting his pension."

(b) Under the heading "Major Penalties", the clauses (e), (f), (g), and (h) shall be re-numbered as clause (g), (h), (i) and (j).

(c) Before the re-numbered clause (g) the following shall be inserted namely,

(f) "save as provided for in (e) above reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the officer will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of psotponing the future increments of his pay."

(d) For the re-numbered clause(g) the following may be substituted namely:

"(g) reduction to a lower grade of post".

03. In sub-regulation(1) of Regulation 6 of the Principal Regulations, for the words, brackets and figures "Clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4 the words, brackets and figures "Clauses (f), (g), (h), (i) and (j) of regulation 4" may be substituted.

04. In sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Principal Regulations for the words, brackets and figures "Clauses (a) to (d) of Regulation 4", the words, brackets and figures "Clauses (a) to (e) of Regulation 4" may be substituted.

05. In the first proviso to Sub-regulation(ii) of regulation 17 of Principal Regulations for the words, brackets and figures "Clauses (e), (f), (g) and (h) of Regulation 4" the words, brackets and figures "Clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4" may be substituted.

06. In the first proviso to Regulation 18 of Principal Regulations for the words, brackets and figures "Clauses (e), (f), (g) or (h) of Regulation 4", the words, brackets and figures "Clauses (f), (g), (h), (i) or (j) of Regulation 4" may be substituted.

NOTE : Earlier amendments to Bank of Maharashtra Officer Employees (Discipline & Appeal) Regulations, 1976 were published in part III, Section 4 of Gazette of India as per details given below:

Sr. No.	Notification No.	Date
42	AXI/ST/DA/10065/94	15-10-94

Mr. S. S. Chitale, Dy. G. M. Personnel

CANARA BANK
PERSONNEL MANAGEMENT SECTION
HEAD OFFICE

Bangalore-2, The 27th November 1996

No. .—In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-Section (2) of Section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1770 (5 of 1970), the Board of Directors of CANARA BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previsous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations, namely:—

I. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

(1) These Regulations may be called CANARA BANK (Officers) Service (Amendment) Regulations, 1996.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

II. In the CANARA BANK (Officers) Service Regulations 1979/for first proviso to sub-regulation (1) of regulation 19, the following shall be substituted, namely:—

"Provided that the Bank may, at its discretion, on review by the Special Committee/Special Committees as provided hereinafter in sub-regulation (2) retire, if it is *of the opinion that it is* in the public interest, an Officer employee on or at any time after the completion of 55 years of age or on or at any time after the completion of 30 years of total service as an Officer employee or otherwise, whichever is earlier".

M. V. KAMATH, General Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Madras-600 034, the 5th December 1996

No. 3SCA(4)/8/95-96.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (b) of Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of members of this institute at his own request from 31-3-1996, the name of Shri G. S. Gundu Rao 548 Ghickpet, Bangalore-560 053.

His membership Number is 000796.

K. R. A. N. IYER, Secy. (Current Charge)

No. 3SCA(4)/2/96-97.—In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Clause (a) Sub-Section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Cahrtered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute on account of death with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following gentlemen :—

S. No.	M. No.	Name & Address	Date of Removal
1.	001031	Madhava Rao Ramnathpur Vasudev 6 Maharaja Suryarao Road Teynampet Madras-600018	18/09/96
2.	002409	Lakshmana Rao G 1366 5th Main E Block 2nd Stage Rajajinagar Bangalore-560010	15/09/96
3.	003760	Srinivasa Krishnan Saravana Bhuvan A-5 LIC Colony Mahalingapuram Pollachi-642002	16/03/96
4.	005438	Jayaraman C A Plot No. 5 Visalakshmipuram Madurai-625014	08/04/96
5.	006042	Dakshinamurthy S 1832 Ambalpuram Pudukottai-622001	03/10/95
6.	003547	Muckadackel Varkey Joseph Thenungal House Via-Vadavucode Pankode-682310	16/04/96
7.	007721	John Kurian Director/Secretary Forbes, Ewart & Figgis (P) Ltd. P.O. Box 545 wellingdon Island Cochin-682003	28/02/96
8.	018089	Rajan Babu N Dwaraka Buildings Mill Road Quilon-691001	30/07/96
9.	020495	Balasubramaniam M No. 6 Paul Appasamy Street T. Nagar Madras-600017	17/06/96
10.	021751	Rama Mohana Rao N Ramamandiram Street Satyanarayanapuram Vijayawada-520011	08/06/96
11.	029580	Ramaraju K V 12-2-416/57 Ushodaya Colony Hyderabad-500028	30/01/96
12.	082580	Ramanathan N 7 & 8 Sindhur Plaza 42 Miontieth Road Madras-600008	16/07/96
13.	201065	Sudhir M Assistant Manager—Finance Tata Tea Limited Post Box No. 9 Munnar-685612	26/03/96
14.	202076	Ashok K Block G I Floor P T Complex New Del Road RMV II Stage Bangalore-560054	14/12/95

K. R. A. N. IYER, Secy. (Current Charge)

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

The 6th December 1996

No. 3SCA(8)/3/96-97.—In pursuance of Clause (iii) of Regulation 10 (1) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certifficate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from dates mentioned against their names, as they do not desire to hold their Certificate of Practice :—

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. date
1.	020645	Mr. Chandrasekhar S FCA 326, Variety Hall Road Coimbatore-641 001	01/06/96
2.	021391	Mr. Subramanian N FCA Flat No. 3d Front Block Oakland Apartments 9 malony Raod, T Nagar Madras-600 017	15/07/96
3.	021430	Mr. Sivaraman R FCA 15, 14th Street Jai Nagar Arumbakkam Madras-600 106	01/06/96
4.	022935	Mr. Kumar A B FCA Flat No. G-5 Madhurams Flats 38 79th Street 18th Avenue Ashok Nagar Madras-600 083	31/07/96

S. No.	MRN	Member Name & Address	Canc. date
5.	024953	Mr. Sankar T M ACA 17 19th Avenue Ashok Nagar Madras-600 083	12/07/96
6.	027729	Mr. Kotte Muralikrishna FCA Flat No. 302 Methodish Complex Gunfoundry Hyderabad-500 001	10/09/96
7.	029176	Mr. Shankar Ananthararnan FCA No. 12. East Club Road Shenoy Nagar Madras-600 030	30/08/96
8.	035278	Mr. Srikanth P S ACA 93, 4th Street, I Floor Abhiramapuram Madras-600 018	01/10/95
9	045322	Ms. Seethalakshmi Jagannathan ACA 12 45th Street Manganallour Madras-600 061	30/08/96
10.	087579	Mr. Ashish Kankan ACA Flat No. 5-C A Block Krishna AP 8-3-324 Yellareddyguda Ameerpet Cross Road Hyderabad-500 873	15/08/96
11.	088136	Mr. Srinivas M ACA No. 123 A Ranka Colony Bannerghatta Road Bangalore-560 076	17/07/96
12.	200331	Mr. Ravi Chandran P ACA G-2 Industrial Estate Dingigul-624 006	05/08/96
13.	200867	Mr. kannan V ACA Plot No. 45. Door No. 15 New Nggo Colony 4th Main Road, Adambakkum Madras-600 088	08/06/96
14.	200984	Mr. Sai Ram F ACA Siddardh Classic Flat No. 52 2-2-647/273/A/B Srinivas Nagar Central Excise Colony Hyderabad-500 013	23/06/96
15.	201118	Ms. Sudharani S ACA H. No. 27-6-10 Vaddadivari Lane Temple Street Kakinada-533 001	08/09/96
16.	201228	Mr. Narayanan T S ACA 3209 8th Cross (Old III Cross) I Main C Block Gayathri Nagar Bangalore-560 025	01/09/96
17.	201808	Mr. Ramanathan K ACA Door No. 11 Plot No. C4 First ST Lakshminagar Nanganallur Madras-600 061	07/05/96
18.	203781	Mr. Maheswara Reddy T ACA 1/32A Ballarat ST Ellersile Auckland Newzealand-0	14/08/96
19.	203902	Mr. Natarajan S ACA L V 5 Lloyds Colony Royapettah Madras-600 014	23/08/96
20.	204385	Mr. Kannan G ACA Lakshmi Nivasam 11/3 5th Cross Street United India Colony Kodambakka Madras-600 024	02/09/96
21.	204404	Mr. Srinivasa Rao Ch ACA 115-B "F" Block Kushal Towers Khairatabad Hyderabad-500 004	10/06/96
22.	204475	Mr. Ramesh E ACA H. No. 7—87 Madhurapuri Dilsukhnagar Hyderabad-500 060	05/08/96
23.	204820	Mr. Hari S ACA C/O ITI Limited Dooravani Nagar Bangalore-0	08/07/96
24.	205005	Ms. Deepa Roy ACA D No. 45-49-7 Abid Nagar Akkayyapalem Visakhapatnam-530 016	01/04/96

K. R. A. N. IYER, Secy. (Current Charge)

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

Calcutta-700 071, the 17th October 1996

No. 3ECA/5/1/96-97.—With reference to the Institute's Notification Nos. 3ECA/4/11/82-83 dt. 31-3-83, 3ECA/4/7/87-88 dt. 30-12-87, 3ECA/4/6/88-89 dt. 24-2-89, 3ECA/4/4/90-91 dt. 10-11-90, 3ECA/4/10/91-92 dt. 23-1-92, 3ECA/4/4/93-94 dt. 1-2-94, 3ECA/4/2/95-96 dt. 25-3-96 and 3ECA/4/2/95-96 dt. 13-3-96, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the date mentioned against their names, the name of the following persons.

Sl. No.	M/N	Member Name & Address	Rest. Date
1.	008240	Mr. Kameswara Rao E V ACA C-6, 5th Floor UCO House 1/1 Alipore Avenue Calcutta-700 027	1-4-96
2.	011034	Mr. Ahmed Ziauddin FCA C/o Webel Bhaban Block EP/GP Sector-V, Bidhan Nagar Calcutta 700 091	23-5-96
3.	011890	Mr. Agarwal Krishna Narayan FCA 190 Paona Road Imphal 795 001	21-5-96
4.	013845	Mr. Basu Ray Sugata FCA 26/S/A, Block-B, New Alipore Calcutta 700 053	14-6-96
5.	014756	Mr. Venkataramani R ACA Dy General Manager Union Bank of India, Zonal Off 225C A J C Bose Road Calcutta 700 020	21-8-96
6.	015032	Mr. Bhagat Shambhu ACA 48/22/3, Swiss Bank Calcutta 700 033	2-9-96
7.	016342	Mr. Ghosh Subrata ACA 31A Alipore Road 3rd Floor Calcutta 700 027	6-5-96
8.	050059	Mr. Chakrabarti Satyaprakash ACA House of Tusar Nath Upper Hill View Asansol 713 304	23-8-96
9.	050152	Mr. Seth Alok Nath ACA 35 Upendra Chandra Banerjee Road Calcutta-700 014	28-5-96
10.	050198	Mr. Sarkar Pradip Kumar ACA 13 Sankharitolla Street Calcutta 700 014	1-4-96
11.	050607	Mr. Bandyopadhyay Amit Kumar ACA HA-109, Sector-III Salt Lake City Calcutta 700 091	2-7-96
12.	051333	Mr. Dutta Anjan Kumar ACA No. 1 Banomali Paul Road Burrabazar Dt Hooghly Chandannagar 712 136	23-8-96
13.	051539	Mr. Nandi Gautam ACA Box 31608 Lusaka Zambia	8-7-96
14.	052553	Mr. Sharma Santosh Kumar FCA 47/7 Prince Gulam Hussain Shah Road Calcutta 700 032	31-5-96
15.	052782	Mr. Chanduka Ashok Kumar ACA YP-106 Unique Park Behala Calcutta 700 034	2-8-96
16.	053522	Mr. Basu Saibal ACA 17/5 Bosepukur Road Calcutta 700 042	12-6-96
17.	053890	Ms. Raman Nandita ACA 117 River Road Greenwich NSW 2065 Australia.	23-5-96
18.	054456	Mr. Halan Sushil Kumar ACA 2E Motilal Basak Lane Calcutta 700 054	20-9-96
19.	054558	Mr. Varma Sunil ACA 39A David Crescent Karori Wellington	3-4-96
20.	054664	Mr. Nayak Shantanu Kumar ACA H-17 Civil Township Rourkela 769 004	19-9-96
21.	055724	Mr. Chaudhuri Subrata ACA 50, Dhan Debi Khanna Road Calcutta 700 054	31-5-96
22.	055749	Ms. Ramchandani Manisha ACA 311 Greenfields Subdvn Tapu AC District Dagupan City Philippines	6-9-96
23.	056843	Mr. Sharma Uttam Kumar ACA BB-5 High School Road PO Deshbandhunagar Beguiati Calcutta 700 059	2-9-96

K.R.A.N. Iyer
Secretary (Current Charge)

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A GOVT OF INDIA UNDERTAKING)

New Delhi-110 016, the 24th October 1996

NOTICE

No. CWC/III-25/40/96-B&C—In pursuance of Rule 13 of the Central Warehousing Corporations Rules, 1963, the name and address of the Director duly elected on 25-9-96 (AN) for a period of two years w.e.f. 10-10-96 from the class of Shareholders specified in Clause (e) of Sub-Section 1 of Section 7 of Warehousing Corporation Act, 1962, is notified as under.

Case of Shareholders	Name & Address of the Elected Director
Cooperative Societies	Sh. Harbhajan Singh Awla The Talwandi Bhai Coop. Marketing Society Ltd., Talwandi Bhai, Distt. Ferozepur (Punjab)

M. Das Gupta
Secretary
Central Warehousing Corporation

PUNJAB WAKF BOARD

AMBALA CANTT-133001

NOTICE UNDER RULE OF 5(3) OF PUNJAB WAKF RULES, 1964

No. Wakf 60-(222)/94—Refer to the earlier Public Noice, under Rule 5(3) of Wakf rules, 1964, published in Government of India Gazette dated August 17, 1996 for calling objections/suggestions within 30 days, from the date of publication, regarding regularisation of Tenancy of Wakf land Khasra No. 138 measuring 2 Bighas 16 Biswas (2988 Sq. Yards) at *Rajbaha Road, Patiala* in favour of Sh. Mohd Ramzan S/o Sh. Abdul Hakim resident of Rajbaha Road, Patiala. In this regard the Word 'Rajpura' appearing in the Public Notice dated August 17,1996 in the Govt. of India gazette which stands for the location of the property may be read as *Rajbaha Road, Patiala.*

Accordingly we have not found any objection/suggestion relating to the above public Notice. In view of the above and further to avoid litigation, the tenancy compromise reached between Sh. Mohd Ramzan S/o Sh. Abdul Hakim resident of Rajbaha Road, Patiala and the Board/Administrator, Punjab Wakf Board, relating to the above property measuring 2988 Sq. Yards, is considered as final on below mentioned terms and conditions.

(1) The tenant will pay an amount of Rs. 2.50 lakhs as donation to the Board (already realised).

(2) The monthly rent with effect from 1-4-95 for the said premises will be Rs. 1000.00 (One thousand per month)

(3) The construction raised by the tenant on the said plot will be regularised.

(4) The tenancy can be inherited by the legal heirs of Sh. Mohd Ramzan and above terms and conditions shall be applicable to him and his heirs only.

Sd/-Illegible
Acting Secretary
Punjab Wakf Board

PUNJAB WAKF BOARD, AMBALA CANTT.

No. Wakf/45/Gen/Pub/Gazette/502/96—In exercise of the powers confrred under Sectin 27 of the Wakf Act 1954, which are exercisable by me under the delegated powers by the Administrator, Punjab Wakf Board, under Section 22 of the Wakf Act, 1954, Properties are hereby declared as Sunni Wakf.

S. No.	Name of Wakf	Distt/Tehsil	Village	Kh. No.	Area	Value	Nature & object of Wakf	How the Wakf is administrated	Sunni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					K—M				
1.	Graveyard	Jalandhar	Puranpur	28	10—15				
		————	HB No. 190	29	14—18				
		Jalandhar		29	0—3	2,50,000	Religious	Under the Management of the PWB Ambala Cant	Sunni-Wakf
				—	———				
				1	25—16				
2.	Do	Karnal	Kachhwa	158	68—9				
		————	HB No.11	—					
		Karnal		—					
				26					
				27	10—11				
				132					
				—					
				—					
				26	2—18	9,00,000	Do.	Do.	Do.
					———				
					81—18				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					K—M				
3.	Do.	Kangra ——— Dehra	Bara HB No. 153	222 356	0—25—57 Hects. 0—13—05 Hects. ——— 0—38—62	2,50,000	Do.	Do.	Do.
					B—B				
4.	Do.	Kangra ——— Sub Teh. Rakkar	Garli-Khas	259	0—2	5,000	Do.	Do.	Do.
					K—M				
5.	Do.	Kurukashetra ——— Thanesar	Amin	206	9—15	3,00,000	Do.	Do.	Do.
6.	Mosque	Do.	Do.	73 — — 21 —— 2 22 — 1	21 6—16 ——— 13—14	6—18 4,50,000	Do.	Do.	Do.
7	Graveyard	Do.	Pattijhebara Shahabad	134	5—7	1,00,000	Do.	Do.	Do.
8.	Khangah	Fatehgarh Sahib ——— Fatehgarh Sahib	Ajnali HB No. 65	563 898 969	0—5 0—5 4—6 ——— 4—16	80,000	Do.	Do.	Do.
9.	Khangah Lalanwala	Do.	Do	536	1—3	20,000	Do.	Do.	Do.
10	Graveyard	Do.	Do	699 867 — 3—11	0—18 2—13	60,000	Do.	Do.	Do.
11	Peerkhana	Do.	Do.	962	2—5	50,000	Do.	Do.	Do.
12	Graveyard	Jalandhar ——— Jalandhar	Bastimithu Jalandhar Sahib HB No. 310	1071 ——— Min 853 533 ——— 152 1014 ——— 400	2—10 7—7 3—18 ——— 13—15	—	Do.	Do.	Do.
13	Do	Kangra ———	Ujjain	3161	0—25—08 Hects.	69,000	Do.	Do.	Do.
14	Mosque	Do	Do.	1472	0—00—30 Hects.	1,000	Do.	Do.	Do.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					K—M				
15.	Khanqah. Dera-Sahib Akbarshah.	Ferozepur / Ferozepur.	Hiraj HB No. 164-65	42 — — 12 21 22 — 1	0—10 5—3 1—0 6—13	—	Religious	Under the management of the PWB. A/Cantt.	Sunni-Wakf
16.	Khanqah Peer Murad-Shah.	—do—	Habibke HB. No. 59	57 — — 28	3—10	—	—do—	—do—	—do—
17.	Graveyard.	Panchkula / Panchkula. Old. Teh. Naraingarh. Distt. Ambala	Toda HB. No. 25	61 Min. (20 Karam x 40 Karam)	4—9	75,000	—do—	—do—	—do—
18.	—do—	—do—/Sub Tah. Rai Pur Rani	Rehna HN. No. 204	44	40-17	5,00,000	—do—	—do—	—do—
19.	Mosque.	—do—/—do—	Bhood HB. No. 99	9 — — 28	0—17	15,000	—do—	—do—	—do—
20.	Mosque. Shanwali.	Ambala / Naraingarh	Gharoli HB. No. 54	20 — — 23/2 28 — — 3/2/1 Min	6—0 0—17 6—17	90,000	—do—	—do—	—do—
21.	Graveyard.	—do—	Shahzadpur HB. No. 58	149	2—0	12,000	—do—	—do—	—do—
22.	Peer Lalanwala Mazar.	—do—	Naraingarh. HB. No. 88	24 — — 26	3—0	1,00,000	—do—	—do—	—do—
23.	Graveyard.	—do—	—do—	304	0—7	—	—do—	—do—	—do—
24.	—do—	—do—	Baroli. HB. No. 89	524	B—B 1—0	25,000	—do—	—do—	—do—
25.	Mosque.	—do—	Loton HB. No. 91	19 — — 3/2 8 9/1 13/2 14/1 17/1	K—M 4—6 8—0 1—7 3—16 4—0 4—13 26—2	4,00,000	—do—	—do—	—do—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					K—M				
26.	Graveyard.	Ambala / Naraingarh	Badholi HB. No. 410	137	1—18	20,000	Religious	Under the management of the PWB, A/Cantt.	Sunni-Wakf.
27.	Mosque.	—do—	Gadoli HB No. 135	108 / 16/1/8	0—2	2,000	—do—	—do—	—do—
28.	Graveyard.	—do—	Dhamoli-Majri. HB. No. 278	25 49	2—18 13—16 = 16—14	2,00,000	—do—	—do—	—do—
29.	Peer.	—do—	Korasan, HB. No. 286	44 / 26/2/2 Min.	3—0	50,000	—do—	—do—	—do—
30.	Graveyard.	—do—	Rajoli HB. No. 288	46	4—0	50,000	—do—	—do—	—do—
31.	—do—	—do—	Majara HB. No. 60	59	5—9	50,000	—do—	—do—	—do—
32.	—do—	Ambala / Barara. Old. Teh. Ambala	Zafarpur HB. No. 8	110	2—18	40,000	—do—	—do—	—do—
33	—do—	Ambala / Ambala	Akbarpur. HB. No 131	41 40	1—14 21—1 = 22—15	3,65,000	—do—	—do—	—do—
34	—do—	Fatehgarh Sahib / Fatehgarh Sahib.	Baipur	62 Min.	3—7	50,000	—do—	—do—	—do—
35.	—do—	Amritsar / Amritsar	Khurmian	68	4—15	58,000	—do—	—do—	—do—
36.	—do—	Bhiwani / Dadri	Chirya	278	13—4	—	—do—	—do—	—do—
37	Takia.	Jalandhar / Jalandhar	Bhatnura Lubana HB. No. 14	46 / 7 8/1 14 17	7—19 0—15 8—0 8—0 = 24—14	1,85,250	—do—	—do—	do—
38.	Graveyard	Ambala / Ambala	Phasiala HB No 48	63 64 65	0—15 0—13 3—12 = 5—0	40,000	—do—	—do—	—do—
39.	Peer.	Ambala / Ambala	Kalpi HB. No. 136	50 / 6	3—18	40,000	—do—	—do—	—do—

Note : Serial No. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 are graveyards according to Jamabandies 91—92, 91—92, 93—94, 72—73, 89—90, 84—85, 90—91, 90—91, 92—93, 87—88, 85—86, 88—89, 87—88, 83—84, 86—87, 86—87, 83—84, 89—90, 86—87, 8[illegible] 91—92 89—90 93—94, Girdawri, 95—96, and Serial No. 6, 14, 19, 20, 25, 27, are Mosques according to Jamabandi, 89—90 92—93, 86—87, 84—85, 83—84, 91—92. Serial No. 8, 9, 15, 16, are Khanqahs according to Jamabandies, 90—91, 90—91, 80—81, 93—94 Serial No. 11 is Peer Khana according to Jamabandi 90—91, Serial No. 22, 29, 39, are Peer according to Jamabandi 87—88, 84—85, 88—89, Serial No. 37 is Takia according to Jamabandi 1989—90, respectively. These have been entered in the Kitab-Ul-Aukaf and Register [illegible] Wakf Properties under Section 26 of the Wakf Act, 1954.

Sd/-Illegible
Acting Secretary
Punjab Wakf Board
Ambala Cantt. 133001

CORRIGENDUM

No. Wakf/45/Gen/Pub/Corrigendum/500/96.—The following corrigendum is to be published in respect of Wakf properties which had been published in the Government of India, Gazette Part III, Section IV dated 6-2-71, 24-8-96, 6-2-71, 21-11-70, 6-2-71, 11-3-96, 6-2-71 in respect of District Jalandhar Ropar, Gurgaon, owing to printing mistake and consolidation of Holdings.

S No.	Sr. No of the Gazette	Page No. of the Gazette	Sr. No. of Gazette with date	Distt./Teh	Village	Amendment
1	2	3	4	5	6	7
1.	76	370	6/6-2-71	Jalandhar ————— Jalandhar	Chhota Pind Alias. Bara Pind. HB. No. 367	In Column No. 5 & 6 Khasra No. 56 instead of area 0K—11M may be read as 11K—0M.
2.	433	399	—do—	—do—	Kingra. HB. No. 123	In Column No. 6 instead of Khasra No. 75 area 28K—4M may be read as Khasra No. 73.
3.	692	421	—do—	—do—	Khudowal HB. No 374	In Column No. 6 instead of Khasra No. 41, may be read as Kh. No. 45.
4.	57	3749	34/24-8-96	Ropar ————— Ropar	Ropar.	In Column No. 5 instead of Kh. No. 1960 may be read as Kh. No. 1950.
5.	699	421-22	6/6-2-71	Jalandhar ————— Jalandhar	Bastimithu Jalandhar HB. No. 310	In Column No. 5 & 6

instead of Kh. No.	instead of K—M	May be read as under Kh. No.	May be read as under K—M
65	1—10	65	7—10
433/354	2—3	453/399	2—3
454/354	2—6	454/399	2—6
447/69	4—1	476/69	4—1
477/59	1—6	477/69	1—6
463/419	0—14	463/418	0—14
647/77	9—10	467/77	9—10
87	11—7	87	11—14

S No.	Sr. No of the Gazette	Page No. of the Gazette	Sr. No. of Gazette with date	Distt./Teh	Village	Amendment
6.	2790 to 2793	2198	47/21-11-70	Gurgaon ————— F.P. Jhirka	Kherli NUH	In Column No 4, insterad of Village Jalapur NUH may be read as Village Kherli NUH.
7.	477	402	6/6-2-71	Jalandhar ————— Jalandhar	Jalbha	In Column No. 5 & 6

instead of Kh. No.	instead of K—M	May be read as under Kh. No.	May be read as under K—M
26/6	1—1	4//$\frac{20}{6}$	1—11
21/1	4—11	$\frac{21}{1}$	4—12
5/15	4—12	5//15	4—11
13/2/2	6—17	$\frac{25}{1}$	6—17
13/1/2	0—11	13//$\frac{1}{2}$	0—9

S No.	Sr. No of the Gazette	Page No. of the Gazette	Sr. No. of Gazette with date	Distt./Teh	Village	Amendment
8.	611	414	—do—	—do—	Jagun HB. No. 297	In Column No. 6 instead of Kh. No. 29 may be read as Kh. No. 17.
9.	4	2982	11/16-3-96	—do—	Balandpur HB. NO 162	In Column No. 7 instead of Rectangle No. 118 may be read as Rectangle No. 18.
10.	484/85	403	6/6-2-71	—do—	Chukhiara HB. NO. 59	In Column No. 6 instead of Kh. No. 6975/1, 6976/1, 6472/1, 6473/1, 6475/1, may be read as Kh. No. 6975, 6976, 6472, 6473, 6475 and instead of Kh. No. 6456/1 area 17—7 may be read as Kh. No. 6456 area 17—4.

Sd/-Illegible
Acting Secretary, Punjab Wakf Board, Ambala Cantt-133001

UNIT TRUST OF INDIA

Mumbai the 27th November 1996

No. UT/DBDM/R168/SPD-89A/96-97—Offer Document of the Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS '96) formulated under section 21 of the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963) approved by the Executive Committee in the meeting held on 2nd September, 1996 is published herebelow.

A.G. JOSHI
General Manager
Business Development & Marketing

UNIT TRUST OF INDIA INSTITUTIONAL INVESTORS' SPECIAL FUND UNIT SCHEME 1996 (IISFUS '96) OFFER DOCUMENT

Offer open from October 22nd, 1996 to December 05th, 1996

This unit scheme has been formulated in accordance with section 21 of the Unit Trust of India Act 1963, (52 of 1963) by the Board of Trustees of UTI.

The scheme particulars have been prepared in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1993, and the units offered for subscription have not been approved or disapproved by the SEBI, nor has SEBI certified on the accuracy or adequacy of the Offer Document.

OBJECTIVE OF THE SCHEME

This is a five year close ended income oriented scheme which allows exit at NAV based price after six months from the date of commencement of the scheme i.e. from 01.07.97 The scheme is for institutional investors who want to invest large amounts in an exclusive scheme.

HIGHLIGHTS

- Minimum investment is Rupees Ten Lakhs with no maximum limit. Face value of units is Rs.10/-.
- Open to eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts, Societies registered under Societies Registration Act, 1860, Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act, Army/Air force/Navy/ Paramilitary Fund, Any other institution/Corporate Body (including companies).
- The Trust proposes to pay minimum targeted rate of return of 16 % p.a. for the first year. The first dividend will be paid on a pro rata basis from the date of acceptance to 30th June 1997 and will be paid in July '97. The second half yearly dividend will be paid in January 1998.The dividend for the subsequent years will be declared before the end of the previous year and paid half yearly in July and January each year.
- Option for re-investment of dividend.
- Transfer allowed after three months from the date of commencement of the scheme i.e. from 1st April 1997.
- Repurchase allowed after six months from the date of commencement of the scheme i.e from 01.07.97 at NAV based price.

RISK FACTORS

- Investments in units of the scheme are subject to market risks and the NAV of the scheme may go up or down depending on influence of market forces on the schemes portfolio.
- In the event of actual income not being sufficient to pay a minimum targeted return of 16% p.a. in the first year, unitholders may suffer loss of unit capital to that extent.
- Performance of the previous schemes/plans of the Trust is not necessarily an indication of future results. There can be no assurance that the objective of the scheme will be achieved.
- Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1996 is only the name of the scheme and does not in any manner indicate the quality of the scheme. Investors are urged to study the terms of the offer carefully before they invest in the scheme.

MANAGEMENT'S PERCEPTION OF RISK FACTORS

- The Trust has been in operation for over 32 years and has built up expertise in managing funds of around Rs.56,800 crores from over 48 million investors.

CONSTITUTION OF UTI

Unit Trust of India was set up as a statutory body under UTI Act, 1963, with a view to encouraging saving and investment and participation in the

Income, profits and gains accruing to the Trust from the acquisition, holding, management and disposal of securities. It started functioning with effect from 1st July, 1964.

MANAGEMENT OF UTI

The Management of the affairs and business of UTI are vested in the Board of Trustees with a full time Chairman appointed by the Government of India. Besides the Board, there is a statutory Executive Committee comprising the Chairman, the Executive Trustee and two other Trustees nominated by the Industrial Development Bank of India. The Committee is competent to deal with any matter within the competence of the Board.

BOARD OF TRUSTEES

1.	Shri Jagdish Capoor	Chairman, Unit Trust of India
2.	Dr.P.J. Nayak	Executive Trustee, Unit Trust of India
3.	Shri.R.V. Gupta	Deputy Governor Reserve Bank of India
4.	Shri S.H. Khan	Chairman, Industrial Development Bank of India
5.	Shri N.S. Sekhsaria	Managing Director, Gujarat Ambuja Cements Ltd.
6.	Dr. Arvind Virmani	Advisor, Policy Planning, Govt.of India, Dept.of Economic Affairs, Ministry of Finance
7.	Shri P.R. Khanna	Chartered Accountant
8.	Shri N.M. Govardhan	Chairman, Life Insurance Corporation of India
9.	Shri P.G. Kakodkar	Chairman,S.B.I.
10.	Shri N. Vaghul	Chairman, ICICI Ltd.
11.	Shri J.V. Shetty	Chairman & Managing Director, Canara Bank

THE DETAILED FEATURES OF THE SCHEME ARE AS GIVEN BELOW :

I. Short title and commencement :

(i) This Scheme shall be called the Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1996 (IISFUS '96).

(ii) It shall come into force on the 22nd day of October, 1996.

(iii) The scheme shall be for a period of five years from 1st January 1997 to 31st December 2001.

(iv) Units will be on sale from 22nd October 1996 to 05th December 1996 for 45 days. Provided, however that the Executive Committee of Board of Trustees of the Trust/Chairman may suspend the sale of units under the scheme at any time in circumstances like war, disruption of trading in Stock Exchanges and other socio-economic factors after giving 7 days notice in newspapers or in such other manner as may be decided by the Unit Trust.

II. Definitions :

In this Scheme, unless the context otherwise requires :

(1) "acceptance date" with reference to an application made by an applicant to the Unit Trust for sale or repurchase of units by the Unit Trust means the day on which the Unit Trust after being satisfied that such application is in order, accepts the same;

(2) The "Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 (52 of 1963);

(3) "Applicant" means a person who is eligible to participate in the scheme and who makes an application under Clause IV of the scheme.

(4) "Eligible Trust" means a Trust as defined in the Unit Trust of India General Regulations 1964.

(5) "Number of units in issue" means the number of units sold and outstanding;

(6) "Person" shall include an eligible trust as defined above.

(7) "Regulations" means the Unit Trust of India General Regulations, 1964 made under Section 43(1) of the Act;

(8) "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India set up under the Securities and

Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992).

(9) "Unit" means one undivided share of the face value of Rupees Ten in the unit capital pertaining to this Scheme;

(10) "Unit Trust" or "Trust" means the Unit Trust of India established under Section 3 of the Act.

(11) all other expressions not defined herein but defined in the Act/Regulations shall have the respective meanings assigned to them by the Act/Regulations.

III. Face value of each unit :

The face value of each unit shall be ten rupees.

IV. Application for units :

(1) Applications for units under this Scheme may be made by :

(i) All Eligible Trusts including Charitable and Religious Trusts.

(ii) Societies registered under Societies Registration Act, 1860.

(iii) Any other body either established or controlled by or under a State or Central Act.

(iv) Army/Air force/Navy/Paramilitary Fund.

(v) Any other Institution/ Corporate body (including companies).

(2) Applications shall be made in such form as may be approved by the Chairman/Executive Trustee of the Unit Trust.

(3) Eligible Institutions, bodies corporate or societies shall whenever required submit to the Trust all the relevant documents showing the applicants' competence to invest in units, such as Memorandum and Articles of Association, Bye-laws etc. an authorised copy of the resolution by the managing body etc. authorising investment in units and a copy of the requisite Power of Attorney.

V. Minimum amount of Investment

The minimum investment under the scheme is Rupees Ten lakhs with no maximum limit. For investments not in multiple of Rs.10/-, units will be allotted in fractions upto three places after the decimal.

The investor is advised to furnish Income Tax P.A.N./G.I.R. number and I.T. Circle Office address if they are having so.

VI. Mode of Payment

(i) All payments shall be made by the applicant along with the application by way of draft (bank draft commission to be borne by the investor), cheque, inclusive of the cost of realising the cheque or draft. Cheques and drafts should be drawn only on branches of banks within the city where the branch Office of the Trust at which the application is tendered is situated.

(ii) If payment is made by cheque, the acceptance date will be the date of realisation of the cheque. If payment is made by draft, the acceptance date will subject to such draft being realised, be the date of issue of such draft, provided, the application is received by the branch office of the Trust within 10 days from the date of issue of the draft. If the amount tendered is not sufficient to cover the minimum amount payable under the scheme and other charges payable, the entire amount shall be refunded to the applicant at his cost in such manner as the Trust may deem fit.

(iii) **Right of the Trust to accept or reject application :** The Trust shall have the right at its sole discretion to accept and/or reject application for issue of units under the Scheme. Any decision of the Trust about the eligibility or otherwise of a person to make an application under the Scheme shall be final.

(iv) **Incomplete Application liable for rejection :** In case the application is found to be incomplete, the same will be liable for rejection and refund of such application money will be made by the Trust as soon as possible without incurring any liability whatsoever for interest or other sum. Refund will be made after compliance of requisite operational and procedural formalities.

(v) **Applicant to comply with requirements under the scheme before being issued units :** Institutions applying for units under the scheme shall satisfy the Trust about their eligibility to make an application and comply with all requirements of the Trust such as Trust deed, Resolution by the Managing Body to

buy units in case of application from Trusts, Bye-Laws and resolution by the Managing Committee etc. in case of application by societies etc. depending on the category of the investors. The compliance or otherwise to the satisfaction of the Trust of such requirements shall be at the sole discretion of the Trust.

An institution who holds units under a false declaration shall be liable to have the unitholding cancelled and the name deleted from the register of Unitholders.

The Trust shall have the right in such an event to repurchase the units at par after deduction of 25% as penalty or at such price as may be decided by the Trust, and recover the Income Distribution wrongly paid from out of the repurchase proceeds and return the balance.

The amount shall not carry any interest irrespective of the period it takes the Trust to effect the repurchase and to remit the repurchase proceeds to the applicant.

VII. Minimum target amount to be raised :

Amount of Rs.20 crores is targeted to be raised under the scheme. Oversubscription, if any, will be retained by the Trust. The Trust shall by A/c payee cheque/refund order, refund not later than six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme the entire amount collected under the scheme, if the said targeted amount is not subscribed.

In the event of failure to refund the amount within the period stipulated above, the Trust shall be liable to pay interest @ 15% p.a. on the expiry of six weeks from the date of closure of the sale of units under the scheme.

VIII. Limitation on Expenses :

Initial issue expenses may not exceed 3.50% of the funds raised under the scheme. Initial issue expenses of the Scheme are estimated to be as under :

Expense head	%
Printing and postage	0.75
Publicity and marketing	0.75
Commission/Incentive payment	1.00
Miscellaneous	1.00
Total	3.50

Thus for every rupee invested by an investor, not less than 96.5 paise will be invested in the scheme.

In addition to the initial issue expenses the following expenses will be charged to the Scheme on a recurring basis which shall not exceed 2 % of the average weekly net asset value during any accounting year. Estimated recurring expenses are as under :

Expense head	%
Administrative Expenses	1.0
Custodial Fees	0.5
Development Reserve Fund	0.1
Staff Welfare Trust	0.1
Other Expenses	0.3
Total	2.0

The above expenses are estimates and are subject to change inter-se as per actual expenses incurred. However the total expenses would be within the limit of 3.5% of the funds collected for initial issue expenses and 2% of the weekly average net asset value during any accounting year for recurring expenses, in accordance with the SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993. Further, administrative expenses, contribution to DRF and contribution to the Staff Welfare Trust will not exceed 1.25% of the weekly average Net Asset Value of the Scheme during the accounting year.

The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations / Guidelines issued by SEBI.

IX. Sale of Units :

The sale price of units during the period of offer shall be at par.

The contract for sale of units by the Unit Trust shall be deemed to have been concluded on the acceptance date. The Unit Trust shall thereafter issue Unit Certificates in lots of 50,000 units each. For units not in multiple of 50,000 a single certificate shall be issued. The Unit Trust will not incur any liability for the loss, damage, mis-delivery or non-delivery of the unit certificates, so sent.

A unit certificate issued by the Unit Trust to a Trust / Society / Body Corporate shall be made out in the name of such Trust / Society / Body Corporate.

The Unit Trust shall endeavour to send the unit certificates as soon as possible but not later than ten weeks from the date of closure of sale of units under the scheme.

X. **Repurchase of units :**

(1) (i) There shall be no repurchase of units during the first six months of the scheme upto 30th June 1997. Repurchase shall commence from 01.07.97 and the repurchase price shall be at a discount not exceeding 5% to the historic NAV. The repurchase price shall be issued to the press for publication initially after three months and thereafter every month during the first six months of the scheme. On completion of the lock-in-period, the repurchase price shall be declared once every week commencing from 01.07.97.

Partial repurchase shall be allowed provided that the unitholder maintains a minimum balance of Rupees Ten Lakhs (face value).

Repurchase shall be effected on receipt of the Unit Certificate with the form of repurchase duly filled in.

(ii) The unitholder shall be under no obligation to offer its units for repurchase as provided in sub-clause 1(i) above and it will be free to hold them as long as it desires during the currency of the Scheme.

(2) The contract for repurchase shall be deemed to have been concluded on the acceptance date.

(3) Payments for units repurchased by the Unit Trust shall be made as early as possible after the acceptance date in such manner as the applicant may indicate in the application. No interest shall, on any account, be payable on the amount due to the applicant, and the cost of remittance (including postage) or of realisation of cheque or draft sent by the Unit Trust shall be borne by the applicant.

(4) The repurchased units will not be re-issued.However, as and when SEBI permits the re-issue of units, the Trust retains its rights to re-issue the units repurchased under the scheme only with the prior approval of SEBI.

(5) The basis of computation of repurchase price shall be subject to regulations and guidelines that may be prescribed by SEBI in due course.

XI. **Restrictions on sale and repurchase of units :**

Notwithstanding anything contained in any provision of this Scheme, the Unit Trust shall not be under an obligation to sell or repurchase units –

(i) on such days as are not working days; and

(ii) during the period (as notified by the Unit Trust) when the register of unitholders is closed in connection with the half yearly/ annual closing of the books and accounts.

Explanation : For the purposes of this Scheme, the term "working day" shall mean a day which has not been either (i) notified under the Negotiable Instruments Act, 1881, to be a public holiday in the State of Maharashtra or such other States where the Unit Trust has its Offices; or (ii) notified by the Unit Trust in the Gazette of India as a day on which the Office of the Unit Trust will be closed.

XII. **Sale or repurchase to be as on the acceptance date :**

Every sale or repurchase of units by the Unit Trust shall be as on the acceptance date at the respective prices prevailing on that day.

XIII. **Publication of repurchase price :**

The Unit Trust shall, as early as possible after the determination of the repurchase price, issue it to the press for publication.

XIV. **Valuation of assets pertaining to this Scheme :**

(a) Listed investments in shares and debentures which have not been quoted for two months prior to the date of valuation are treated as Unquoted Investments.

(b) Valuation rate in case of quoted investments is the market rate as of valuation date or most recent available quote falling within a period of two months prior to the date of valuation in

case market quote as of valuation date is not available.

(c) The aggregate cost of investments is compared with the aggregate market value to determine appreciation/depreciation in the value of investments. For arriving at the market value of investments:

(i) Quoted equity shares including those under lock-in-period/preference shares are taken at valuation rate.

(ii) Quoted debentures and bonds are taken at valuation rate discounted for interest element from the last interest due date to the date of quote in case of cum-interest quotes.

(iii) Quoted warrants are taken at valuation rate.

(iv) Unquoted equity/preference shares (including those listed but treated as unquoted) are taken at cost or as per policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(v) Unquoted debentures and bonds, secured transferable notes and unsecured transferable notes will be valued on the basis of yield to maturity (YTM) or as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(vi) Unquoted warrants are taken at valuation rate of relative shares discounted for dividend element, if any, as reduced by the cost of acquisition payable. In cases where the cost of acquisition payable is higher than the market value, the value of warrants is taken as nil.

(vii) Convertible debentures and bonds where composite market quotations are not available, the market value of the convertible portion is taken at the valuation rate applicable to relevant equity shares, discounted for dividend element, if any. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds is taken as at (v) above. Where terms of conversion are not specified in respect of convertible portion of debentures and bonds, the same are taken at cost.

(viii) Money Market obligations are taken at book value.

(ix) Government Securities will be valued on the basis of market price for quoted securities and yield to maturity (YTM) for unquoted securities or as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(x) The rights entitlements for shares/ convertible portion of debentures and bonds where terms of conversion are known are taken at the valuation rate applicable to relevant equity shares, discounted for dividend element, if any. The residual non-convertible portion of such debentures and bonds is taken as at (v) above.

XV. Computation and disclosure of Net Asset Value (NAV) :

The Net Asset Value of the Scheme shall be calculated by determining the value of the Scheme's assets and subtracting the liabilities of the Scheme taking into consideration the accruals and provisions. The Net Asset Value per unit shall be calculated by dividing the NAV of the Scheme by the total number of units issued and outstanding on that date. This NAV (on historic basis) shall be issued to the press for publication initially after three months from the commencement of the scheme i.e. on 01/04/97 and thereafter every month during the first six months. On completion of the lock-in-period the NAV shall be declared once every week commencing from 1st July 1997 or at such intervals as may be approved by SEBI.

XVI (a) Investment Objectives :

(i) Not more than 20% of the funds mobilised under the Scheme will be invested in equities and equity based instruments and the remaining in fixed income securities and money market instruments. Risk profile of fixed income securities will be low to medium. Risk profile of equity investments could be high.

Investments in money market instruments will be consistent with guidelines issued by SEBI in this regard from time to time.

Notwithstanding the aforesaid, the proportion of investment as indicated above could be varied at the discretion of the fund manager depending on the market conditions and the investment avenues available.

(ii) It shall be the discretion of the Trust to decide about the composition of portfolio subject to restriction on investment and making income distribution having regard to the interest of the investors.

(b) Investment Policies

(i) All debt instruments in which investments are made by the scheme should have been rated as investment grade by CRISIL/ICRA/CARE or any other credit rating agencies which may be recognised from time to time :

Provided that if the debt instrument is not rated, the specific approval of the Board of Trustees of the Trust shall be taken for investment.

(ii) No term loans will be advanced by this scheme.

(iii) Investments by way of privately placed debentures, securitised debts and other unlisted debt instruments shall not exceed 40% of the total assets of the scheme.

(iv) The scheme shall not invest more than 5% of its corpus in any one company's shares.

(v) Not more than 10% of the funds of all the schemes of the Unit Trust taken together including this scheme shall be invested in shares, debentures or other securities of a single company.

(vi) Not more than 15% of the funds under all schemes of the Unit Trust including this scheme shall be invested in the shares and debentures of any one industry: Provided that provision shall not apply to a scheme which has been floated for investments in one or more specified industries and a declaration to that effect has been made in the offer letter.

(vii) Transfers of investments from this scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done only if –

(a) such transfers are done at the prevailing market price for quoted instruments on spot basis.

(b) the securities so transferred shall be in conformity with the investment objective of the Scheme/Plan to which such transfer has been made.

(c) Transfer of unlisted or unquoted investments from the scheme to another scheme/plan of the Trust shall be done as per the policies laid down by the Board of Trustees of the Trust.

(viii) The scheme shall not invest in or lend to another scheme/plan of the Trust, unless otherwise permitted by SEBI under MF Regulations/ Guidelines/ Directives.

(ix) The scheme shall not borrow funds to finance its investments, unless an express approval of SEBI is taken for the same.

However, notwithstanding anything contained in respect of clauses XIV XV, and XVI(b) above, the valuation of assets, computation of NAV, repurchase price and their frequency of disclosure would be in accordance with the provisions of SEBI (MF) Regulations/ Guidelines/Directives issued by SEBI from time to time.

XVII. Form of Unit Certificate :

Unit Certificates shall be in such form as may be decided by the Chairman/Executive Trustee of the Trust. Each Unit Certificate shall bear a distinctive number, the number of units represented by the Certificate and the name of the unitholder.

XVIII. Manner of preparation of Unit Certificate :

The Unit Certificate may be engraved or lithographed or printed as the Board may, from time to time, determine and shall be signed on behalf of the Trust by two persons duly authorised by the Unit Trust. Every such signature may either be autographic or may be effected by a mechanical method. No Unit Certificate shall be valid unless and until it is so signed. Unit Certificates so signed shall be valid and binding notwithstanding that, before the issue thereof, any person whose signature appears thereon may have ceased to be a person authorised to sign Unit Certificates on behalf of the Unit Trust. Provided that should the Unit Certificate so prepared contain the

signature of an authorised person who however is dead at the time of issue of the Certificate, the Unit Trust may by a method considered by it as most suitable, cancel the signature of such a person appearing on the Certificate and have the signature of any other authorised person affixed to it. The Unit Certificate so issued shall also be valid.

XIX. Procedure when the Unit Certificate is mutilated, defaced, lost etc. :

(1) In case any Unit Certificate shall be mutilated or worn out or defaced, the Unit Trust in its discretion, may issue to the person entitled a new Unit Certificate representing the same number of units as the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate. In case any Unit Certificate should be lost, stolen or destroyed, the Unit Trust may, at its discretion, issue to the person entitled a new Unit Certificate in lieu thereof. No such new Unit Certificate shall be issued unless the applicant shall previously have –

(i) furnished to the Unit Trust evidence satisfactory to it of the mutilation, wearing out, defacement, loss, theft or destruction of the original Unit Certificate;

(ii) paid all expenses in connection with the investigation of the facts;

(iii) (in case of mutilation or wearing out or defacement) produced and surrendered to the Unit Trust the mutilated or worn out or defaced Unit Certificate; and

(iv) furnished to the Unit Trust such indemnity as it may require. The Trust shall not incur any liability for issuing such Unit Certificate in good faith under the provisions of this clause.

(2) Before issuing any Unit Certificate under the provisions of this clause, the Unit Trust may require the applicant for the Unit Certificate to pay a fee of Rupee five per Unit Certificate issued by it together with a sum sufficient in the opinion of the Trust to cover any charges or taxes including postal registration charges that may be payable in connection with the issue and despatch of such Unit Certificate.

XX. Register of unitholders :

The following provisions shall have effect with regard to the registration of unitholders :

(1) A register of the unitholders shall be kept by the Unit Trust and there shall be entered in the register *inter alia* :

(a) the names and addresses of the unitholders;

(b) the number of units held by every such unitholder; and

(c) the date on which such unitholder became the holder of the units standing in its name.

(2) Any change of name or address on the part of any unitholder shall be notified to the Trust, which, on being satisfied of such change and on compliance with such formalities as it may require, shall alter the register accordingly.

(3) Except when the register is closed in accordance with the provisions in that behalf hereinafter contained, the register shall during business hours (subject to such reasonable restrictions as the Unit Trust may impose but so that no less than two hours on each business day shall be allowed for inspection) be open to inspection by any authorised representative of the unitholder, without charge and in connection with his own investment.

(4) The register will be closed at such times and for such periods as the Unit Trust may from time to time determine provided that it shall not be closed for more than 45 days in any one year. The Unit Trust shall give notice of such closure by advertisement in newspapers or other media.

(5) No notice of any trust express, implied or constructive, and no lien shall be entered on the register in respect of any unit relating to any person other than the unitholder.

XXI. Receipt by unitholder to discharge Unit Trust :

The receipt of the unitholder for any moneys paid to it in respect of the units represented by the Unit Certificate shall be a good discharge to the Unit Trust.

XXII. Transfer / Pledge / Assignment of units :

Transfer / pledge / assignment shall be allowed after a lock-in-period of 3 months from the date of commencement of the scheme i.e. from 1st April 1997 subject to the following terms :

(1) Every unit holder shall be entitled to transfer the units or any of the units held by it by an instrument in writing in a form approved by the Chairman of the Trust provided that no transfer shall be registered if the registration thereof would result in the transferor or the transferee having an investment of less than Rupees Ten Lakhs (face value) in the Scheme.

Provided that no transfer shall be made except to the persons in the classes mentioned in Clause IV.

(2) Every instrument of transfer shall be signed by the transferor and the transferee and the transferor shall be deemed to remain the holder of the units transferred until the name of the transferee is entered in the register in respect thereof.

(3) Transfer instruments with the relative Unit certificates shall be lodged with any of the branches of Unit Trust.

(4) Every instrument of transfer shall be duly stamped (if under the law it requires to be stamped) and left with the Trust for registration along with the relative Unit Certificate or Certificates and such other evidence as the Unit Trust may require in support of the title of the transferor or its right to transfer the units. The Trust may dispense with the production of any Unit Certificates which shall have become lost, stolen or destroyed, upon compliance by the transferor with the like requirements to those arising in the case of an application by him for the replacement thereof.

(5) If a transferee becomes a holder of units in an official capacity or by operation of law then the branch of the Trust, shall subject to production of such evidence which in their opinion is sufficient, proceed to effect the transfer, if the intended transferee is otherwise eligible to hold units.

(6) When the units are issued in the official name, they shall be deemed to be transferred without any instrument of transfer from each holder of the office to the succeeding holder of the office on and from the date on which the latter takes charge of the office.

(7) When the holder of the office transfers the units so held to a person not being his successor in office the transfer shall be made by an instrument of transfer signed by the holder of the office and in the name of the office.

(8) All instruments of transfer, which may be registered, shall be retained by the Trust for such period as may be necessary keeping in view procedural and operational requirements.

(9) The Trust shall endorse the details of the transferee on the reverse of the Unit Certificate in the space provided for the purpose.

(10) Subject to the provision contained hereinabove the Trust shall register the transfer and return the Unit Certificate to the transferee within 30 days from the date of lodgement of the Unit Certificate together with the relevant instrument of transfer.

XXIII. Application and transfer forms signed by attorneys :

If any application or transfer form is signed by a person holding a power of attorney empowering him to do so, the original power of attorney or a notarially certified copy of the same should be submitted along with the application or the transfer form, as the case may be unless the power of attorney has already been registered in the books of the Trust.

XXIV. Rate of income distribution :

The Trust proposes to pay a minimum targeted rate of return of 16% p.a., for the first year. The first dividend will be paid in July '97 and will be on a pro rata basis from the date of acceptance to 30th June 1997. It will be calculated on a day to day basis depending on the date of acceptance. Dividend for the period 1st July '97 to 31st December '97 will be paid in January '98. Dividend for the subsequent years will be declared before the end of the previous year and paid half yearly in July and January each year.

XXV. Payment to unitholders :

(1) Before declaring dividend in the scheme, the Trust shall provide for depreciation on investment and also make a provision for bad and doubtful debts, to the satisfaction of the auditors and shall disclose the valuation of investments in the statement of accounting policies. The Trust proposes to pay minimum targeted dividend @ 16% p.a. for the first year.

Based on low marketing and servicing costs and the investment objective and policies of the Scheme as also prevailing and likely yields from the instruments in which funds of the scheme will be invested, the scheme would

generate sufficient returns to pay the minimum targeted return of 16% in the first year. The current yields from instruments in which investments under the scheme are made is :

Instruments	Weighted yield (%)
Debentures	18.00
Equity & Money Market	5.00

Thus it should be possible for the Trust to pay the minimum targeted return of 16% p.a. for the first year to the investors. Rate of dividend for each subsequent year shall be decided on the basis of the income of the scheme and relevant factors and shall be paid out half-yearly in January/July each year.

The Trust shall despatch the Income Distribution Warrants within 42 days from the date of declaration of the rate of dividend.

(2) It shall be lawful for a unit holder to receive and retain any income declared by the Trust in respect of units of which it is such holder, notwithstanding that the units have already been transferred by it for consideration unless the transferee who claims the income from the transferor has within fifteen days of the date on which the income became due, lodged the Certificate and all other documents relating to the transfer which may, under the provisions or otherwise, be required by the Trust, for being registered in its name.

Explanation : The period specified in this sub-clause shall be extended –

i) in case of loss of the transfer deed by theft or any other cause beyond the control of the transferee by the actual period taken for the replacement thereof; and

ii) in case of delay in the lodging of any Certificate and other documents relating to the transfer connected with the transit through the post, by the actual period of the delay.

(3) Nothing contained hereinabove shall affect the right of the Trust to pay to the unit holder any income which has become due, in respect of units of which it is such a holder.

(4) No interest shall be payable by the Trust on such income distributable among the unit holders. However, the Trust, depending upon the reserves built under the Scheme and if circumstances permit, shall compensate the unitholder to the extent possible in such form and manner as approved by the Executive Committee on any delayed claim of dividend by the unit holder.

(5) The income distributable among the unitholders shall be paid by cheque or warrant drawn on the Unit Trust's bankers, or, at the option of the unitholder, by a bank draft, the charges for such bank draft being borne by the unitholder.

As a matter of precaution against possible fraudulent encashment of Income Distribution Warrants due to loss/ misplacement, applicants are requested to give the full particulars of their bank account (i.e. nature and number of account, name of bank) at the appropriate space in the application form as well as on the acknowledgement receipt portion for record. Income Distribution Warrants will then be made out in favour of the bank for crediting their account so specified and sent to them. Unitholders may deposit the Income Distribution Warrants in the said bank for credit of their account. In case the complete bank particulars are not given, Income Distribution Warrants will be issued in the name of the unitholder.

XXVI. Reinvestment of income distribution in further units :

The unitholder shall while applying for units or thereafter have the option to reinvest the income receivable in respect of the units so held in further units. In the event of an exercise of such an option the whole of the income distributable instead of being paid to the unitholder in the manner provided in Clause XXIV hereof shall, after deduction of tax, if any, be reinvested in further units at NAV prevailing in the first week of July or January as the case may be. A statement detailing the dividend distributable, tax deducted, if any, and the units allotted in lieu thereof shall be forwarded to the unitholder. No unitholder shall be entitled to call for the issue of a Unit Certificate in respect of the units so allotted. A unitholder who has opted for the reinvestment facility as aforesaid shall on an application in writing and on surrender of the last statement issued be permitted to have the units to its credit repurchased at the repurchase price prevailing then. A unitholder who has repurchased the reinvested units may continue to avail of the reinvestment

facility in respect of the income distributable for the subsequent years. The units allotted under the reinvestment facility under this clause are not subject to the conditions and stipulations governing the parent units in respect of the minimum holding, repurchase and other matters.

XXVII. Development Reserve Fund (DRF) contribution :

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution towards DRF of the Trust every year. DRF contribution will be part of recurring expenses.

The Unit Trust instituted this fund in the year 1983-84 as a common fund to enable the Trust to meet the expenditure in respect of research & developmental work in connection with the introduction of new schemes, innovation of new systems and procedures at the conceptual stage and also various other productional and developmental work not related to or linked with any particular scheme itself. The Fund is also utilised for Economic and Capital Market Research, Management & Professional Training, Surveys and Market Research for the Trust, Marketing and Corporate image building efforts that are not connected to any specific scheme and Human Resource Development efforts with long term effects and which may relate to the Trust's future activities.

XXVIII. Staff Welfare Trust Contribution

0.10% of the weekly average Net Asset Value shall be set aside as contribution to the Staff Welfare Trust every year.

The Staff Welfare Trust was instituted by the Trust for the welfare of its employees which shall include relief in any distress, medical relief, health relief or for similar other purposes.

XXIX. Trusts not to be admitted and recognised for the purpose of the scheme.

The person who is registered as the Unitholder and in whose name a Unit Certificate has been issued shall be the only person to be recognized by the Trust as the unitholder and as having any right, title or interest in or to such units; and the Trust may recognise such unitholder as absolute owner thereof and shall not be bound by any notice to the contrary or to take any notice of the execution of any Trust save as herein expressly provided or as by some court of competent jurisdiction ordered, to recognise any Trust or equity or other interest affecting the title to any units represented in the scheme.

XXX. Publication of Accounts :

The Trust shall as soon as may be after the 30th June of each year cause to be published in such manner as the Board may decide, accounts in the manner specified by the Board showing the working of the scheme during the period ending as of that date. The Trust shall furnish to the SEBI and others concerned copies of duly audited annual accounts including the balance sheet and revenue accounts as also unaudited half yearly accounts and the quarterly statement of movements in NAV and a quarterly portfolio statement including changes from the previous periods. The Trust shall make such disclosures to the investors as are essential to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.

The Trust shall, on request in writing received from a unitholder, furnish him a copy of the accounts and statements so published. The Expert Committee appointed by SEBI has submitted its report to SEBI which is under consideration of SEBI, the fees, expenses and accounting policies may be subject to change, depending on the Regulations/ Guidelines issued by SEBI.

XXXI. Additions and Amendments to the Scheme :

The Board may from time to time add to or otherwise amend this scheme and any amendment/addition thereof will be notified in the Official Gazette. In case of any amendments prior approval of SEBI shall be obtained.

XXXII. Termination of the Scheme :

(a) The scheme shall stand finally terminated on 31.12.2001, the outstanding units of the unitholders shall be repurchased and the unitholders shall be paid the value of their

units at the repurchase price fixed for the final repurchase during the above period.

Besides receiving the repurchase price determined, no further benefit of any kind either by way of increase in the repurchase value or by way of dividend for any subsequent period shall accrue. However the Trust reserves the right, with the prior approval of SEBI in writing, to extend the scheme beyond five years. In such an event the unitholder will be given an option to either sell back the units to the Trust or to continue in the scheme. The Trust could also give the investor the option to automatically convert the repurchase proceeds into any other scheme launched or in operation at that time.

(b) the Trust may wind up the scheme under the following circumstances :

(i) on the expiry of five years of the scheme i.e. on 31st December 2001 or on the expiry of such date as may be decided by the Trust.

(ii) on the happening of any event which in the opinion of the Trust requires the Scheme to be wound up, or

(iii) if 75% of the unitholders pass a resolution that the scheme be wound up or

(iv) if the SEBI so directs in the interest of the Unitholders.

(c) Where the scheme is wound up in pursuance of sub clause (b) above, the Trust shall give notice of the circumstances leading to the winding up of the scheme to SEBI and in two daily newspapers having circulation all over India and also in a vernacular newspaper circulating in Mumbai at least before a week the termination is effected.

(d) On and from the date of advertisement of the termination, the Trust shall –

(i) cease to carry on any business activities in respect of the scheme.

(ii) cease to create and cancel units in the scheme.

(iii) cease to issue and redeem units in the scheme.

(e) The Board of Trustees shall call a meeting of the unitholders to consider and pass necessary resolutions by simple majority of the unitholders present and voting at the meeting for authorising the Trustees or any other person to take steps for winding up of the Scheme.

(f) (i) The Board of Trustees shall dispose of the assets of the Scheme concerned in the best interest of the Unitholders of the Scheme.

(ii) The proceeds of sale made in pursuance of sub clause (f) (i) above, shall, in the first instance be utilised towards discharge of such liabilities as are properly due under the Scheme and after making appropriate provision for meeting the expenses connected with such winding up, the balance shall be paid to the Unitholders in proportion to their respective interest in the assets of the Scheme as on the date when the decision for winding up was taken.

(g) On the completion of the winding up, the Trust shall forward to the SEBI and the unitholders a report on the winding up containing particulars such as circumstances leading to the winding up, the steps taken for disposal of assets of the scheme before winding up, expenses of the scheme for winding up, net assets available for distribution to the unitholders and a certificate from the auditors of the Scheme.

(h) Notwithstanding anything contained hereinabove, the application of the provisions of SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1993 in respect of disclosures of half yearly reports and annual report shall continue.

(i) After the receipt of the report referred to in clause XXXII (g), if the SEBI is satisfied that all measures for winding up of the Scheme have been completed, the Scheme shall cease to exist.

(j) The Trust shall pay the repurchase value as early as possible after the Unit Certificate along with the form of repurchase duly completed has been received by it and other procedural and operational formalities are complied with. The Unit Certificate and other

forms, if any, shall be retained by the Trust for cancellation.

XXXIII. Benefits to the unitholders

All benefits accruing under the scheme in respect of the capital, reserves and surpluses, if any, at the time of the closure of the scheme shall be available only to the unitholders who hold the units for the full term of the scheme till its closure.

XXXIV. Power to construe provisions :

If any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of the scheme, only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee shall have powers to construe the provisions of the Scheme, in so far such construction is not in any manner prejudicial or contrary to the basic structure of the Scheme and such decision shall be conclusive, binding and final.

XXXV. *Relaxation of provisions* :

Only Chairman, and if no one is appointed as Chairman then, the Executive Trustee of the Trust may in order to mitigate hardship or for smooth and easy operation of the Scheme, relax any of the provisions of the Scheme in case of any unitholder or class of unitholders.

Any changes in the offer document/provisions of the scheme shall be made only with the prior approval of SEBI.

XXXVI. Scheme to be binding on Unitholders :

The terms of the scheme including any amendments, changes thereto from time to time shall be binding on each unitholder and every other person claiming through it as if he had expressly agreed that they should be so binding notwithstanding anything contrary contained in the provisions of the Scheme.

Rights of unitholders :

1. Unitholders under the scheme have a *proportionate right in the beneficial ownership* of the assets of the scheme and to the dividend declared by the scheme.

2. The Unitholders have a right to ask the Trustees about any information which may have an adverse bearing on their investments and the Trustees shall be bound to disclose such information to the unitholders.

3. The unitholders are entitled to have the dividend warrants despatched to them within 42 days of the date of declaration of the dividend.

4. The Unitholders have the right to inspect all documents listed under the heading *"Documents available for inspection"*.

TAX GUIDE :

Tax Exemption

Under the present taxation laws in those cases where the investing institutions are :

(i) **Charitable and Religious Trusts :**

The income of Charitable and Religious Trust in any year is totally exempt from tax if atleast 75% of the Trust's income is spent towards any of the objectives of the Trust in the year in which it is earned (Section 11 of Income Tax Act). Thus a Charitable and Religious Trust can set apart upto 25% of a year's income for application to charitable and religious purposes in future years, without attracting income tax. If the income so set apart in a year is in excess of 25% of that year's income, such excess would attract income tax. However, such excess income will be exempt from income tax if it is invested in "approved securities" mentioned in Section 11(2)(b) of the Income Tax Act. Units of UTI are one of the approved securities. A Charitable and Religious Trust investing its "excess" funds in units qualifies for exemption from Income Tax.

In terms of Section 13 of the Income Tax Act, one of the conditions of eligibility for exemption under Section 11 of Income Tax Act is that the corpus and other funds of the Trust should be invested in approved securities. Units of UTI are one of the approved securities.

(ii) **Any Regimental Fund referred to in Section 23 AA / Other Institutions:** It will be in accordance with prevalent tax laws.

No deduction of Tax at source

No deduction of tax will be made for institutions which are covered under Section 11 or 12 or 10(22) or 10(22A) or 10(23) or 10(23AA) or 10(23C) of Income Tax Act, 1961

on the basis of a simple declaration in the format provided in the application form.

In respect of Institutions other than above deduction of income tax at source from the income will be in accordance with prevalent tax laws.

Wealth Tax

Financial Assets like shares and units of Unit Trust of India and Mutual Funds are excluded for the purpose of assessing wealth tax liability.

NOTE: In respect of Statutory Corporations viz. SEBI, IDBI and similar other organisations, the tax benefits/exemptions under the Income Tax Act and Wealth Tax Act may be governed, inter alia, in accordance with the provisions of their Special Acts, if any, governing them.

Custodians

Stock Holding Corporation of India situated at Mittal Court, B-Wing, Nariman Point, Mumbai 400 021, have been functioning as custodian for all our Schemes and Plans as per the agreement entered into with them on January 17,1994.

The custodians are required to take delivery of all securities belonging to Schemes/Funds/ Plans of the Trust and hold them in custody. The custodians will deliver the securities only as per instructions from the Trust and on receipt of the consideration. The custodian shall be generally authorised to attend to all non-discretionary and procedural details for discharge of normal custodial functions in connection with the sale, purchase, transfer and other dealings with the securities, other assets held by them as an agent except as may otherwise be directed by the Trust. Custodians shall provide all information, reports or any explanation sought by the Trust or the auditors of the Trust for the purpose of audit and for physical verification and reconciliation of Securities belonging to the Schemes/ Funds / Plans of the Trust.

Auditors

M/s. S.K. Kapoor & Co., 16/98 LIC Bldg., The Mall, Kanpur-208 001 and M/s.Kalyaniwalla & Mistry, Maneckji Wadia Building, 127, Mahatma Gandhi Road, Mumbai. The auditors of the scheme are appointed by the IDBI and they are subject to change from year to year.

Investor Complaints

Complaints received, redressed and pending for the period 01.07.95 to 30.06.96 are given below :

Scheme Name	No. of Complaints			Pending to Total Recd.
	Received	Redressed	Pending	
CCCF	3577	3549	28	0.78%
CGGF	13785	13216	569	4.13%
CGUS-91	1877	1861	16	0.85%
CRTS	144	135	9	6.25%
DIUP-93	210	186	24	11.43%
DIUP-95	52	34	18	34.62%
DIUS-90	1299	1293	6	0.46%
DIUS-91	838	830	8	0.95%
DIUS-92	873	867	6	0.69%
IISFUS	2124	2079	45	2.12%
GCGI	399	364	35	8.77%
GRANDMASTER-93	267	252	15	5.62%
GMIS-91	1999	1896	103	5.15%
GMIS-92	950	877	73	7.68%
GMIS-92(II)	729	711	18	2.47%
GMIS-B-92	170	147	23	13.53%
GMIS-B-92(II)	714	701	13	1.82%
GRIHALAKSHMI U.P-94	1353	1305	48	3.55%
HOUSING UNIT SCHEME	199	199	—	0.00%
MEP-91	3013	2968	45	1.49%
MEP-92	21518	20944	574	2.67%
MEP-93	2305	2262	43	1.87%
MEP-94	1466	1434	32	2.18%
MEP-95	4057	3992	65	1.60%
MEP-96	58	51	7	12.07%
MASTERGAIN-92	14623	12631	1992	13.62%
MASTERGROWTH-93	1439	1345	94	6.53%
MIP-93	1602	1585	17	1.06%
MIP-94(I)	198	175	23	11.62%
MIP-94(II)	1417	1396	21	1.48%
MIP-94(III)	3414	3373	41	1.20%
MIP-95	402	351	51	12.69%
MIP-95(II)	352	250	102	28.98%
MIP-95(III)	164	85	79	48.17%
MIP-96	11	6	5	45.45%
MIS-90(I)	479	348	131	27.35%
MIS-90(II)	1002	930	72	7.19%
MIS-B-93	719	701	18	2.50%
MISG-91	1351	1270	81	6.00%
MASTERPLUS-91	5549	5233	316	5.60%
MASTERSHARE-86	28428	21705	6723	23.65%
OMNI-PLAN	61	43	18	29.51%
PEF	683	547	136	19.91%
RETIREMENT BENEFIT PLAN	204	122	82	40.20%
RAJLAKSHMI U.P.	8689	8493	196	2.26%
SENIOR CITIZEN U.P.	1523	1434	89	5.84%
UGS-2000	56072	55693	379	0.68%
UGS-5000	12222	11972	250	2.05%
ULIP	10397	9243	1154	11.10%
US-64	663904	640289	23615	3.56%
US-92	265	261	4	1.51%
US-95	4	4	—	0.00%
TOTAL	879150	841527	37623	4.28%

Reasons for pending complaints are :

(1) Non-receipt of application/funds from the collecting banks.

(2) Incomplete details of the investor in the application including address,name and signature of the investor.

(3) Change of address of investor not informed/ not updated.

(4) Loss in transit.

(5) Postal delay.

(6) Non compliance of required documents in case of transfer/death claims/Repurchase.

(7) Incomplete details while forwarding the complaints.

(8) Non-receipt/ Delayed receipt of commission.

(9) Letters/Documents sent to the wrong office/ Registrars.

Depending on the nature of complaints/objections the Trust writes to investor/bank/Registrars to resolve the same.

All investors could refer their grievance giving full particulars of investment to concerned Investors' Relation Cell at the following addresses :

WESTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Commerce Centre I, 28th Floor,
World Trade Centre, G D Somani Marg,
Cuffe Parade, Mumbai 400 005
Tel : 218 0172/218 1600

EASTERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
2, Fairlie Place, 2nd Floor,
Calcutta 700 001
Tel : 243 4581

SOUTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
UTI-House, 29, Rajaji Salai,
Madras 600 001
Tel : 517101 Ext.360/364

NORTHERN ZONE :

Unit Trust of India
Investors' Relation Cell
Herald House, 2nd floor,
5A, Bahadurshah Zafar Marg,
New Delhi 110 002.
Tel.: 332 9860

Registrars

The processing of applications and after sales services will be handled by the Mumbai Main Branch Office of the Trust at Commerce Centre -1, 29th Floor, World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai 400 005. The Trust has adequate capacity to discharge its responsibilities with regard to processing of applications, despatch of certificates within the prescribed time frame and handle investor complaints.

Documents available for inspection

The following documents will be available for inspection at the Central Investors Relations Cell, Unit Trust of India, SNDT Women's University Basement, Door No.1, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai 400020.

* The UTI Act
* The General Regulations
* Agreement with the Custodian.
* Copy of Offer Document of IISFUS '96

Details of Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1993

Date of commencement	:	01.03.1993
Date of Suspension of sales	:	01.11.1993
Half yearly dividend (In July and January)	:	16% p.a
Amount Collected	:	Rs.1276.87 crores
No. of applications	:	518

Details of Institutional Investors' Special Fund Unit Scheme 1995

Date of commencement	:	01.10.1995
Date of Termination	:	30.09.2000
Half yearly dividend (for the first year)	:	15% p.a
Amount Collected	:	Rs.176.76 crores
No. of applications	:	285

Historical Data for IISFUS '93 & IISFUS '95 for 1994-95 & 1995-96

(Rs. in crores)

	PARTICULARS		IISFUS '93 93-94	IISFUS '93 94-95	IISFUS '93 95-96	IISFUS '95 95-96
A.	Gross Income		206.82	250.07	201.42	26.25
B.	Expenses (Including Provisions)		8.78	28.83	6.23	0.76
C.	Net Income (A–B)		198.04	221.24	195.19	25.49
D.	Dividends	(%)	185.53	16%*	16%*	15%@
E.	NAV	Begining	10.20	10.42	10.22	—
		End	10.49	10.22	10.23	—
F	Repurchase	Begining	—	—	$ 10.22	—
		End	—	—	# 10.50	—
G.	Expenses to Avg. Monthly Net Assets (%)		—	—	—	—
H.	Portfolio Turnover Rate		—	—	—	—
I.	Mkt. Price (High/Low)		—	—	—	—
J.	Sale Price (High/Low)		—	—	—	—
K.	No. of Units (At the end of the period) (In lakhs)		12768.74	129283.18	128583.46	17770.00

* Payable half yearly
@ Payable in July '96 on prorata basis for the period upto 30.6.96
$ For the month of March '96
\# For the month of May '96

UNIT TRUST OF INDIA

CORPORATE OFFICE

13, Sir Vithaldas Thackersey Marg, Mumbai - 400 020. Tel. 206 8468

ZONAL OFFICES

Western Zone : Centre-1, 28th Flr., World Trade Centre, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai-400 005. Tel. 218 1600. **Eastern Zone** : 2, Fairlie Place, 2nd Floor, Calcutta-700 001. Tel.: 220 9391. **Southern Zone** : UTI-House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel.: 517 101. **Northern Zone** : Jeevan Bharati, 13th Floor, Tower II, Connaught Circus, New Delhi-110 001. Tel.: 332 9860.

BRANCH OFFICES UNDER WESTERN ZONE JURISDICTION

Ahmedabad : B.J. House, 2nd, 3rd & 4th Floor, Ashram Marg, Ahemedabad-380 009. Tel.: 642 3043. **Baroda** : 'Meghdhanush', 4th & 5th Floor, Transpek Circle, Race Course Marg, Baroda-390 015. Tel.: 332 481. **Bhopal** : 1st Floor, Ganga Jamuna Commercial Complex, Plot No. 202, Maharana Pratap Nagar, Zone-1, Scheme-13, Habeeb Ganj, Bhopal-462 001. Tel.: 558 308. **Indore** : City Centre, 2nd Floor, 570, M.G. Marg, Indore-452 001. Tel.: 22796. **Mumbai** : (1) Unit No. 2, Block 'B', Gulmohar Cross Marg No. 9, Andheri (W), Mumbai-400 049. Tel.: 620 1995. (2) Persepolis Bldg., 3rd Floor, Above Andhra Bank, Sector-17, Vashi, Navi Mumbai-400 703. Tel.: 767 2607. (3) Lotus Court Bldg., 196, Jamshedji Tata Marg, Backbay Reclamation, Mumbai-400 020. Tel : 285 0621. (4) Shraddha Shopping Arcade, 1st Floor, S.V. Marg, Borivili (W), Mumbai-400 092. Tel.: 802 0521. (5) Sagar Bonanza, 1st Floor, Khot Lane, Ghatkopar (W), Mumbai-400 086. Tel.: 516 2256. **Kolhapur** : Ayodhya Towers, C.S. No. 511, KH-1/2 'E' Ward, Dabholkar Corner, Station Marg, Kolhapur-416 001. Tel.: 657 315. **Nagpur** : Shree Mohini Complex, 3rd Floor, 345, Sardar Vallabhbhai Patel Marg, Nagpur-440 001. Tel.: 536 893. **Nasik** : Sarda Sankul, 2nd Floor, M.G. Marg, Nasik-422 001. Tel.: 72166. **Panaji** : E.D.C. House, Ground Floor, Dr A.B. Marg, Panaji, Goa-403 001. Tel.: 222 472. **Pune** : Sadashiv Vilas, 3rd Floor, 1183, Fergusson College Marg, Shivaji Nagar, Pune-411 005 Tel. 325 964. **Rajkot** : Lallubhai Centre, 4th Floor, Lakhaji Raj Marg, Rajkot-360 001. Tel.: 35112. **Surat** : Salfee Bldg., Dutch Marg, Nanpura, Surat-395 001. Tel.: 434 550 **Thane**: UTI House, Station Marg, Thane (W) - 400 601. Tel.: 540 0905.

BRANCH OFFICES UNDER EASTERN ZONE JURISDICTION

Bhubaneshwar : OCHC Bldg , 1st & 2nd Floor, 24, Janpath, Kharvela Nagar, Near Ram Mandir, Bhubaneshwar-751 001. Tel.: 410 995. **Calcutta** : 2 & 4, Fairlie Place, Calcutta-700 001. Tel.: 220 9391. **Durgapur** : 3rd Administrative Bldg., 2nd Floor, Asansol Durgapur Development Authority, City Centre, Durgapur-713 216. Tel.: 4831. **Guwahati** : Jeevan Deep, M.L. Nehru Marg, Panbazar, Guwahati-781 001. Tel.: 543 131. **Jamshedpur** : 1-A, Ram Mandir Area, Ground & 2nd Floor, Bistupur, Jamshedpur-831 001. Tel.: 425 506. **Patna** : Jeevan Deep Bldg , Ground & 5th Floor, Exhibition Marg, Patna-800 001. Tel.: 235 001. **Siliguri** : Jeevan Deep, Ground Floor, Gurunanak Sarani, Siliguri-734 401 Tel.: 24671.

BRANCH OFFICES UNDER SOUTHERN ZONE JURISDICTION

Bangalore : World Trade Centre, Chamber of Commerce, Kempegowda Marg, Bangalore-560 009. Tel.: 226 3739. **Cochin** : Jeevan Prakash, 5th Floor, M.G. Marg, Ernakulam-682 011. Tel.: 362 354. **Coimbatore** : Cheran Towers, 3rd Floor, 6/25 Arts College Marg, Coimbatore-641 018. Tel.: 214 973. **Hubli** : Kalburgi Mansion, 4th Floor, Lamington Marg, Hubli-580 020. Tel.: 363 963. **Hyderabad** : 1st Floor, Surabhi Arcade, 5-1-664, 665, 669, Bank Street, Hyderabad-500 001. Tel.: 511 095. **Madras** : UTI House, 29, Rajaji Salai, Madras-600 001. Tel.: 517 101. **Madurai** : Tamil Nadu Sarvodaya Sangh Bldg., 108, Thirupparakundram Marg, Madurai-625 001. Tel.: 38186. **Mangalore** : Siddhartha Bldg., 1st Floor, Bal-Matta Marg, Mangalore-575 001. Tel.: 426 258. **Thiruvananthapuram** : Swastik Centre, 3rd Floor, M.G. Marg, Thiruvananthapuram-695 001, Tel.: 331 416. **Trichy** : 104, Salai Marg, Woraiyur, Tiruchirapalli-620 003. Tel.: 27060. **Trichur** : 28/876/77 West Pallithamam Bldg., Karunakaran Nambiar Marg, Round North, Trichur-680 020. Tel.: 331 259. **Vijaywada** : 27-37-156, Bunder Marg, Next to Hotel Manorama, Vijaywada-520 002, Tel.: 74434. **Vishakhapatnam** : Ratna Arcade, 3rd Floor, 47/15/6, Station Marg, Dwarkanagar, Vishakhapatnam-530 016. Tel.: 548 121.

BRANCH OFFICES UNDER NORTHERN ZONE JURISDICTION

Agra : Ground Floor, Jeevan Prakash, Sanjay Place, Mahatma Gandhi Marg, Agra-282 002. Tel.: 54406. **Allahabad** : United Towers, 3rd Floor, 53, Leader Marg, Allahabad-211 003. Tel : 50521. **Amritsar** : Shri Dwarkadhish Complex, 2nd Floor, Queen's Marg, Amritsar-143 001. Tel.: 210367. **Chandigarh** : Jeevan Prakash, LIC Bldg., Sector 17-B, Chandigarh-160 017. Tel.: 543 683. **Dehradun** : 2nd Floor, 59/3, Rajpur Marg, Dehradun-248 001. Tel.: 26720. **Faridabad** : B-614-617, Nehru Ground, NIT, Faridabad-121 001. Tel.: 210010. **Ghaziabad** : 41, Navyug Market, Near Singhani Gate, Ghaziabad-201 001. Tel.: 752040. **Jaipur** : Anand Bhavan, 3rd Floor, Sansar Chandra Marg, Jaipur-302 001. Tel.: 365 212. **Kanpur** : 16/79-E, Civil Lines, Kanpur-208 001. Tel.: 317 276. **Lucknow** : Regency Plaza Building, 5, Park Marg, Lucknow-226 001. Tel.: 232 501. **Ludhiana** : Sohan Palace, 455, The Mall, Ludhiana-141 001. Tel.: 400 373. **New Delhi** : Gulab Bhavan, 2nd Floor, 6, Bahadurshah Jafar Marg, New Delhi-110 002. Tel.: 331 8638. **Shimla** : 3, Mall Marg, 1st Floor, Above Bankidas & Co. Dept. Store, Shimla-171 002. Tel.: 4203. **Varanasi** . 1st Floor, D-58/ 2A-1, Bhawani Market Rathyatra, Varanasi-221 001. Tel.: 54306.

UCHITHA GRAPHIC '10/96

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित,
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996